Ok"k % 39( vad % 6 ( tu 2017( eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

# कश्मीर का दूसरा पहलू

## श्रीनगर में मई दिवस

''मई दिवस का जन्म संघर्ष से हुआ और यह अकेली ऐसी धटना है जो धर्म,नस्ल, राष्ट्रीयता के तमाम विभाजनों या मनुष्यों के बीच भूतकाल के अन्य किसी पूर्वाग्रह के पार चली जाती है,'' श्रीनगर में महिलाओं समेत अलग–अलग क्षेत्रों के भारी संख्या में मौजूद मजदूरों के एक दिवसीय ट्रेड यूनियन कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सीटू के राज्याध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा।

# और असम का असली चेहरा

गुवाहाटी में आंगनवाड़ी कर्मियों की विशाल रैली

# देशभर में मनाया गया मई दिवस

अगरतला, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक सरकार संबोधित करते हुए

तिरूवनंतपुरम, केरल

संगारेड्डी, तेलंगाना

पम्पदी, तमिलनाडु

# सीटू मजदूर

**lhvkbVh;w dk**

**eq[ki=**

**जून 2017**

## सम्पादक मण्डल

**सम्पादक**

के हेमलता

**कार्यकारी सम्पादक**

जे एस मजुमदार

**सदस्य**

तपन् सेन, एम एल मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर


आज की दुनिया में मार्क्स —प्रकाश करात 5

उद्योग व क्षेत्र 7

सामाजिक सुरक्षा कोड की मुश्किलें — प्रो० के आर श्याम सुन्दर 13

राज्यों से 14

समाजिक मुद्दे 20

अंतर्राष्ट्रीय 24

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26


**सम्पादकीय**

# कोयला मजदूरों की हड़ताल

## साझे अभियान को तेज करने का समय

**lHkh ikapks dks;yk QsMjs'kuks & ch,e,l lfgr& us feydj viuh 7 l=h ekaxks ij 19 ls 21 ebZ dh rhu fnuh gM+rky dk vkgoku dj fn;k gSA ekaxks esa dks;yk etnwjksa ds ekStwnk lkekftd lqj{kk fgr&ykHkksa ij ekuh ljdkj ds gey dk fojks/k; dke ds BsdsnkjhdjE.k dh e[kkyQr; 0;kolkf;d fgrksa ds vk/kkj ij dh tk jgh [knku cUnh dk fojks/k; fiNys osru le>kSrs dk iwjh rjg ikyu djkrs gq, ykcw osru le>kSrs dk 'kh?kz djuk 'kkfey gSA gM+rky ij tk jgh lhVw ls tqMh QsMjs'ku us o"kZ ] 2016 ds vUr esa ?kksf"kr jktegy dks;yk n?kVuk ls mtkxj gq;h [knkuksa dh ?kksj vlqj{kk vkSj lqj{kk bart kekssa ds i.kZ vHkko ij Hkh fpUrk trkbZ gSA**

**bVd vkSj mlds QsMjs'ku dh ekaU;rk lekIr dj nsus ds ekSnh ljdkj ds xyr QSly vkSj gky ds fnuksa esa ch,e,l }kjk Lo;a dks lk>k VªsM ;fu;u vkanksyu ls vyx&Fkyx dj fy, tkus ds ckotwn dks;yk etnwjksa vkSj mudh ikapks QsMjs'kuks }kjk çnf'kZr dh x;h ,drk dkfcys rkjhQ gSA dks;yk QsMjs'kuks dh ekaxks esa ,d Hkh ekax uk tk;t ugha gSA lHkh ekaxs etnwjksa ds ekStwnk vf/kdkjksa rFkk fgr&ykHkksa dh fgQktr ds fy, gS; ,d dæh; lkoZtfud m|ksx ds :i esa dks;yk m|ksx dh j{kk ds fy, gS; uksdfj;ksa dh lqj{kk rFkk jkstxkj l`tu ds fy, gS; ns'k ds fgr esa gSA ysfdu] tSlk fd tkfgj gS] bu fnuksa dkjiksjsV ehfM;k iwjh rjg ekSnh ljdkj dh rjgh ctkus esa yxk gqvk gSA lkoZtfud m|ksxksa dks detksj djus] etnwjksa ds vf/kdkjksa vkSj fgr ykHkksa ij geyk djus ds ekSnh ljdkj ds vkØked ,tsaMs dh iwjh fgek;r esa [kMk gq; ,sls ehfM;k dh vksj ls bl gM+rky dks lqdh.k vkSj LokFkhZ djkj nsus dh dksf'k'k dh tk,xhA ,slk >wB Qsykus vkSj xejkg djus dh dksf'k'k gksxh tSls ;g gM+rky dksbZ vfrfjä vkfFkZd Qk;nk yus ds fy, dh tk jgh gS] ;k blds tfj;s ns'k dks udlku igqpk;k tk jgk gSA bl lkft'k dh dkV djuh gksxhA**

**;g blfy, Hkh t:jh gS D;ksfd dks;yk etnwjksa dh ;g gM+rky ns'k ds fy, egÙoi.kZ rFkk fu.kkZ;d le; esa gks jgh gSA ;g og le; gS tc ns'k dk etnjoxZ rFkk lkekftd vkanksyu lÙkkoxZ dh mu uhfr;ksa vkSj mu jktuhfr dk fojks/k dj jgs gSa & tks mudk }kjk vrjk"Vªh; foÙkh; iwath funsf'kr fouk'kdkjh vkfFkZd fn'kk vkSj lkEçnkf;d lxBuksa ds QVijLr&foHkktudkjh mUekn ds ey ds lkFk ns'k ij Fkksih tk jgh gSA ;g gM+rky lep etnj oxZ dh vkxkeh yM+kbZ;ksa dk #>ku r; djxh & mu yM+kbZ;ksa dk viuh vkHkk ls vkykfdr djxh ftuds tfj;s lh?k"kZ lxfBr VªsM ;fu;u vkanksyu ds nk;js ls Hkh dkQh vkxs tk,xkA**

**blfy, VªsM ;fu;u vkanksyu & [kklrkSj ls lhVw & ds fy, ;g vko';d gks tkrk gS fd og dks;yk etnwjksa dh gM+rky ds eísk dks ydj vfHk;ku esa mrjsA çf/kkuea=h ujsUæ ekSnh dh vxqvkbZ okyh dæ ljdkj dh uhfr;ksa vkSj jktuhfr ls bu मुद्दों ds fj'rs dks cudkc djsA**

# कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

# मौजूदा श्रमिकों व बेरोजगार युवाओं के खिलाफ

राज्य सभा में 11 अप्रैल, 2017 को कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 पर चर्चा में भाग लेते हुए सीटू महासचिव तपन सेन ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि विधयेक न तो देश के मजदूरों के हित में है और न ही युवा बेरोजगारों की विशाल संख्या के। सरकार पहले ही कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 पर अमल कर रही है और 70 प्रतिशत फैक्टरी श्रमिकों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए रोजगार के स्तर की सीमा को बढ़ा रही है; ओवरटाइम की स्वीकार्य 50 धंटों की सीमा को बढ़ाकर 125 धंटे प्रति तिमाही किया गया है और स्प्रैड ओवर टाइम को 10.5 धंटे से बढ़ाकर 12 धंटे किया गया है। श्रम के बारे में संसद की स्थायी समिति ने इन तीन बड़े बदलावों को सर्वसम्मति से खारिज किया है।

''मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपका पहले का विधेयक–– अभी मौजूद है––– फिर यह दूसरा विधेयक किसलिए, यानि कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 के रूप में एक और विधेयक ?'' संसदीय स्थायी समिति की एकमत सिफारिशों के बावजूद इस विधेयक को आगे बढ़ाया जा रहा है। '' यह हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है,'' तपन सेन ने कहा।

''आज कार्यस्थलों की वास्तविकता क्या है ? दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुणजांव व धारूहेड़ा आदि में अधिकतर निजी कारखानों में 12 धंटे का कार्यदिवस आम है और 80 प्रतिशत मजदूरों को इसके लिए किसी प्रकार अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। यह अवैधता की पराकाष्ठा है। कुछ जगहों में उन्हें परिश्रमिक तो मिलता है पर वह जरूरी दर से नहीं दिया जाता, जो कारखाना अधिनियम के अनुसार वेज की दर से दोगुना होता है। लेकिन आप इसका समाधान नहीं कर रहे–– आप कानून के उल्लंधनकर्ताओं को नहीं पकड़ते; आप उनसे नहीं निपट सकते; इसलिए बिजनेस करने को आसान बनाने की आप की सनक के चलते बेहतर है कि जो अपराध हो रहा है उसे ही वैध बना दो; तपन सेन ने कहा।

प्रोद्योगिकी के विकास के चलते श्रम की उत्पादक में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसलिए काम के धंटो को कम करने की, पालियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है न कि ओवरटाईम बढ़ाने की, ओवरटाइम की सीमा बढ़ाने की। कार्यस्थलो में 12 धंटे के कार्य दिवस की अवैध स्थिति को समाप्त करने की जरूरत है न कि उसे वैध बना देने की। सरकार ने यह विधेयक तब पेश किया है जब बेरोजगारी बढ रही है और शांति व अमन–चैन के सामाजिक ताने–बाने के लिए खतरा बन रही है; और जब बमुश्किल ही कोई रोजगार सृजित हुआ है।

सरकार के आंकड़ो के मुताबिक ही, 8 सबसे श्रम आधारित क्षेत्रों में 2015–16 में केवल 1.15 लाख रोजगार सृजित हुए; और राज्य सभा में श्रम मंत्री द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार इनमें से 4 सैक्टरों में तो 2016–17 में रोजगार में शुद्ध रूप से गिरावट आयी है। ''मैने विधेयक में कुछ निश्चित संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

# सीटू ने मातृत्व लाभ में कटौती की भर्त्सना की

सीटू ने, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के मातृत्व लाभ को एक बच्चे तक सीमित कर देने के कानूनी प्रावधानों का उलंधन करने वाले फैसले की भर्त्सना की है। जहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माँ कम से कम 6000 रूपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है; मोदी सरकार ने इसे पहले जीवित बच्चे के लिए तीन किश्तों में मिलने वाले 5000 रूपये तक सीमित करने का फैसला किया है।

मातृत्व लाभ के लिए जैसे कितना कुछ कर रही मोदी सरकार के अंधाधुंध प्रचार के विपरीत इस सरकार ने 2017 के लिए मात्र 2700 करोड रूपये आवंटित किये हैं जिससे एक वर्ष में केवल 17 प्रतिशत को ही लाभ दिया जा सकता है। सरकार एक ऐसे देश में इस सीमित कानूनी अधिकार की कटौती कर रही है जहाँ असंगठित क्षेत्र में 97 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं और जहाँ विश्व की कुल मातृत्व मौतों में से 17 प्रतिशत मौते होती हैं, हर दिन 120 मौते। दरअसल यह सब सरकार द्वारा आई सी डी एस, एन एच एम तथा मातृ व बाल मृत्यु की समस्या को संबोधित करने वाली अन्य योजनाओं के बजट में सरकार द्वारा की गयी कटौती के अनुरूप है। सीटू ने मांग की है कि सरकार, जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है, बच्चों की संख्या की सीमा न रख सभी महिलाओं को लाभ प्रदान करे तथा नकद लाभ योजना, आई सी डी एस व एन एच एम के साथ ही स्वास्थ्य प्रदान कराने वाले तंत्र में सुधार के लिए भी जरूरी बजट मुहैया कराये।

# आज की दुनिया में मार्क्स


## प्रकाश कारात
### पोलित ब्यूरो सदस्य, सी.पी.आई.(एम.)


कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती 5 मई 2018 को आ रही है। मार्क्स के जन्म की द्वि–शताब्दी का पालन इस साल में उनकी जयंती के साथ शुरु हो गया है।

यह पूछा जा सकता है कि उन्नीसवीं सदी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स की, जिन्होने दास कैपीटल नामक पुस्तक लिखी, इक्कीसवीं शताब्दी में रहने वाले लोगों के लिए क्या प्रासंगिता है ?

कार्ल मार्क्स का जन्म 200 वर्ष पहले हुआ और पूँजीवाद का एक व्यापक अध्ययन, पूँजी का प्रथम खण्ड 150 वर्ष पूर्व 1867 में आया। इसलिए यह पूछने का आधार है कि मार्क्स के विचारों और कार्यों की आज की दुनिया में क्या प्रासंगिकता है।

मार्क्सवादी विचारों की सतत प्रासंगिकता और जीवन्तता को समझने के लिए हमें वापस वर्ष 2008 में जाना चाहिए। उस वर्ष एक ऐसा वित्तीय संकट सामने आया जो पूरी दुनिया की पूँजीवादी व्यवस्था पर छा गया। लगभग एक दशक के बाद भी, वैश्विक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था इस संकट से पूरी तरह से उबर नहीं सकी है।

इस संकट के कारण बुर्जुआ विचारकों और अर्थशास्त्रियों ने भी मार्क्स की आश्चर्यजनक समकालीनता को देखा। उनमें से अधिकांश को मार्क्स के पूँजीवाद के विश्लेषण के पूर्वज्ञान को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक प्रमुख अमरीकी अर्थशास्त्री नूरिएल रौबिनी, जो मार्क्सवादी नहीं है, ने उस समय कहा '' कार्ल मार्क्स ने इसे सही समझा, एक समय पर पूँजीवाद खुद को नष्ट कर सकता है''। और ''हम ने सोचा बाजारों ने काम किया है। वे काम नहीं कर रहे हैं।''

समकालीन दौर के सभी प्रमुख मुद्दों, चाहे वैश्वीकरण का असर हो, असमानता और पर्यावरणीय संकट में हुई अभूतपूर्व वृद्धि हो – इन सभी को मार्क्स ने पहले ही भांप लिया था।

मार्क्स और एंगेल्स द्वारा 1848 में लिखे गए कम्युनिस्ट धोषणापत्र में पूँजीवाद की वैश्वीकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार वर्णित किया गया था ''अपने उत्पादों के लिए बाजार के विस्तार के लिए पूँजीपति वर्ग पूरी दुनिया में भागे फिरते हैं। इसे हर जगह बसेरा, हर जगह व्यवस्थित होने और हर जगह सम्पर्क स्थापित करने की जरुरत होती है।''

पूँजी का एक संस्करण मार्क्स के जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ था, दूसरे दो संस्करणों को एंगेल्स बाद में लाए। यह पूँजीवाद के बारे में मार्क्स के सैद्धान्तिक काम की परिणति थी – उत्पादन की एक नयी व्यवस्था। उसने ''पूँजीवाद की अन्दरुनी कार्यप्रणाली'', श्रम से अतिरिक्त मूल्य की निकासी, उत्पादन के साधनों के मालिकान के हाथों में पूँजी और धन का संचय, बढ़ती असमानता, उत्पादन का संकट और प्रणालीगत दोष जो पूँजीवादी व्यवस्था में संकट की पुनर्रावृत्ति का कारण बनता है आदि के बारे में बताया।

मार्क्स के दौर से ही पूँजीवादी विकास ने भी मार्क्स द्वारा लिखे गए पूँजीवाद की गतिशीलता के सिद्धान्त को अमान्य नहीं किया है।

मार्क्स द्वारा अपनायी गयी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके एकाधिकार के तौर पर अगले विकास और आज की वैश्वीकृत वित्तीय पूँजी का विश्लेषण किया जा सकता है और समझा जा सकता है। लेनिन ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में मार्क्स के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का उपयोग करके पूँजीवादी एकाधिकार और साम्राज्यवाद के उदय का विश्लेषण किया।

इतिहास के हर प्रमुख दौर, फासीवाद का उदय, उपनिवेशों के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम और समाजवाद की स्थापना आदि को मार्क्स द्वारा निर्धारित समाज के ऐतिहासिक विकास के द्वारा समझा जा सकता है।

पूँजी के अलावा मार्क्स का प्रमुख योगदान ऐतिहासिक भौतिकवाद रहा। मार्क्स का दर्शन द्वन्दात्मकता और भौतिकवाद के संयोजन पर आधारित है। इस द्वन्दात्मक भौतिकवादी दृटिकोण से ही मार्क्स ने मानव समाज के ऐतिहासिक विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया।

मार्क्स ने विस्तार से बताया कि कैसे उत्पादन का पुराना  तरीका के उत्पादन नए तरीके में बदलता है, जो पुराने समाज को बदलकर नया समाज तैयार करता है। उसके बाद समाज वर्गों में विभाजित हो जाता है, यह वर्ग संघर्ष ही है जो बदलावों के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि *कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा था : ''अब तक के समाज का इतिहास असल में वर्ग संघर्षों का इतिहास है।''*

मार्क्स केवल अर्थशास्त्री या राजनैतिक विचारक ही नहीं थे। उन्होने एक क्रान्तिकारी दर्शन निर्धारित किया, एक दर्शन जिसमें न केवल राजनीति बल्कि मानव इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज और प्रकृति को शामिल किया गया है। लेकिन उस दर्शन में भौतिकवाद के साथ द्वन्दात्मक पद्धति का संयोजन है, सिद्धान्त और व्यवहार का एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन जो क्रान्तिकारी बदलाव ला सकता है।

जैसा कि मार्क्स ने स्वयं कहा था कि ''दार्शनिकों ने केवल विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है। हालाँकि, मुख्य बिन्दु इसे बदलने का है।''

कार्ल मार्क्स के साथ उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स को, एतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। इस सिद्धान्त के आधार पर उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग के आन्दोलन को संगठित किया गया है।

मार्क्स ने मजदूर वर्ग को पूँजीवादी व्यवस्था की ''कब्र खोदने वाले'' की भूमिका के तौर पर परिभाषित किया। कम्युनिस्ट धोषणापत्र ने मजदूर वर्ग का आह्वान् किया कि वह खुद को ''राष्ट्र के नेतृत्वकारी वर्ग के तौर पर विकसित करे'', इसका अर्थ है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन में सभी वर्गों का नेतृत्व वह अपने हाथ में ले। मार्क्स ने कहा था कि पूँजीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष को केवल ''आर्थिक'' संघर्ष नहीं बल्कि एक राजनैतिक संघर्ष होना चाहिए। इसे घोषणा पत्र में ''वर्ग संघर्ष अनिवार्य रुप से एक राजनैतिक संघर्ष है'' के रुप में रेखांकित किया गया था।

क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्य में मजदूर वर्ग की इस भूमिका के आधार पर मार्क्स के जीवन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की एसोसिएशन जिसे प्रथम इन्टरनेशनल कहा गया, की स्थापना 1864 में हो गयी थी।

मजदूर वर्ग के आन्दोलन के बारे में कार्ल मार्क्स की राजनैतिक समझदारी को श्रमिक संगठनों ने उनकी मृत्यु के दो दशकों के अन्दर ही स्वीकार लिया। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंगेल्स के जीवनकाल में ही मजदूर वर्ग की शक्तिशाली पार्टी बन गयी थी। मजदूर वर्ग के एक क्रान्तिकारी संगठन के निर्माण का काम लेनिन और बोल्शेविकों द्वारा एक उच्च स्तर पर ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरुप 1917 में अक्टूबर क्रान्ति हुई।

सोवियत संघ के पतन के बाद, पूँजीवादी विचारकों ने घोषित किया था कि मार्क्सवाद मर चुका है; उन्होने ''इतिहास के अंत'' की घोषणा भी की थी। लेकिन एक चौथाई सदी के बाद ही पूँजीवाद की विजय चौपट हो गयी।

अर्थशास्त्रियों और विभिन्न विचारों के विशेषज्ञों ने उच्च स्तर की असमानता के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो सभी उन्नत पूँजीवादी देशों को तबाह कर रही है। उन्नत पूँजीवादी देशों में आय और धन संचय की असमानताऐं पिछले सत्तर वर्षों में उच्चतम् स्तर पर हैं। आय असमानता के संदर्भ में फ्रॉसीसी अर्थशास्त्री ने रेखांकित किया है कि संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा ''किसी भी बीते हुए समय में, पूरी दुनिया के किसी भी समाज में और कहीं भी सर्वाधिक है।''

वैश्विक स्तर पर वयस्क 1% सर्वाधिक धनी व्यक्तियों के पास पूरी दुनिया का 51% धन है। यह वैश्वीकृत वित्तीय पूँजीवाद का उत्पाद है।

आज की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन बदहाल हालात को देखकर कार्ल मार्क्स को हैरानी नहीं हुई होती। उन्होने मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकशों को एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धान्त दिया जिसके मार्गदर्शन के द्वारा पूँजीवाद का खात्मा करके, वर्गीय शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त एक नया समाजवादी समाज बनाया जा सकता है।

हम वर्तमान में अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति का वर्षभर चलने वाला शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इस साल के सितम्बर में मार्क्स की ***दास कैपीटल*** के प्रकाशन की 150$^{वीं}$ वर्षगांठ आ रही है। इसके बाद कार्ल मार्क्स की 200$^{वीं}$ जयन्ती होगी। इन सभी अवसरों का उपयोग हमें अपनी मार्क्सवाद–लेनिनवाद की समझ को तेज एवं गहरा करने के लिए और 21$^{वीं}$ सदी में भारत में समाजवाद कायम करने के लिए एक खाका तैयार करने के वास्ते करना चाहिए।

# उद्योग व क्षेत्र

## मनरेगा

# मनरेगा पर केन्द्र सरकार के हमले का एकजुट प्रतिरोध करो


## डॉ काश्मीर सिंह ठाकुर

राष्ट्रीय सचिव, सीटू


भाजपा की नरेद्र मोदी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2017 को श्रम मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब वर्ष में 50 दिन कार्य करने वाले मनरेगा मजदूर भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं बन पाएंगे। भाजपा सरकार के इस मजदूर विरोधी निर्णय का मतलब है कि ये मनरेगा मजदूर अब निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं बन पाएगें और मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृति, मैडिकल सुविधा, बच्चों की शादी के लिए पैसे, पैंशन आदि की सुविधा नही मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर में करोड़ों मनरेगा मजदूरों की समाजिक सुरक्षा खत्म कर दी गई है। मोदी सरकार मजदूरों के हितैषी होने का नाटक कर रही है परन्तु केन्द्र सरकार के फैसलों से मनरेगा को कमजोर व पंगु बनाया जा रहा है और मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है।

जबकि 12 जुलाई 2013 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि वे मनरेगा मजदूर जिन्होंने पिछले वर्ष में मनरेगा में 50 दिन का कार्य किया है, भवन एवं अन्य निर्माण मजदूरों का रोजगार एवं सेवाशर्तों का विनियमन अधिनियम के अधीन भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। इसका मतलब था कि इन मनरेगा मजदूरों को कल्याण बोर्ड से बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा तय लाभ वजीफा, बच्चों की शादी के लिए पैसे, मेडिकल सहायता, मकान की मरम्मत के लिए पैसे तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश भर में लाखों मनरेगा मजदूरों को इसका लाभ मिला। ज्ञातव्य हो कि काम के अधिकार को संवैधानिक बनाने की मांग, वामपंथी पार्टियों, सीटू व किसान सभा, युवा संगठनों, छात्र संगठनों द्वारा काफी लंबे समय से की जाती रही है। इसको लेकर अनेक आंदोलन, गोष्ठियों व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के माध्यम से जनता को लामबंद व जागरूक करने का प्रयास जारी रहा। सीटू द्वारा 2–4 अप्रैल 1990 में दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में और वर्ष 2005 में पुनः कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रोजगार के अधिकार को लेकर किया गया। संवैधानिक अधिकार बनाकर रोजगार की गारन्टी करने को लेकर आन्दोलन लगातार चलता रहा।

वर्ष 2004 में एक नई राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी और इस सरकार को कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा। सरकार गठन के समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बना और रोजगार के अधिकार की मांग को भी इसमें सम्मिलित किया गया। कुल मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टियों के दबाव, प्रभाव व दखल से देश में पहली बार रोजगार के अधिकार का एजेंडा केंद्र सरकार के समक्ष पेश हुआ। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लोकसभा व राज्यसभा में पारित करके इसे एक कानून का रूप दिया गया। वामपंथी पार्टियों, मजदूरों व किसानों, बुद्धिजीवियों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप देश की करोड़ों जनता को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून मिला। उस समय भी देश में नीति क्षेत्र, व्यावसायिक मीडिया और वित्त मंत्रालय सहित कई अन्य विभागों ने इस रोजगार गारंटी कानून का विरोध किया था। 2 फरवरी 2006 से यह कानून देश के 200 जिलों में इसे लागू किया गया है। मनरेगा का सारा बजट केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान भी मनरेगा कानून में है। बेरोजगारी भत्ते का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। रोजगार गारंटी का यह कानून, काम के लिए आवेदन करने वाले, 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 100 दिन का रोजगार अब दया नहीं, भिक्षा नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार है। यद्यपि देश में व्याप्त बेरोजगारी को ध्याान में रखते हुए 100 दिन का रोजगार भी नाकाफी है। परंतु फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ तो रोजगार का सृजन हुआ और रोजगार चाहने वालों को रोजगार की कानूनन् गारंटी मिल गई। रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को पंचायत स्तर के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर रोजगार देना होगा। रोजगार पाने के लिए आवेदनकर्ता को फार्म न. 4 (यानि आवेदन) की रसीद भी देनी होगी। यदि पंचायत अधिकारी 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं देते हैं तो आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार न मिलने पर, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पहले माह में केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन का ¼ दूसरे महीने न्यूनतम वेतन का ½ और तीसरे महीने न्यूनतम वेतन का ½ आवेदनकर्ता को मिलेगा। मनरेगा के तहत निम्न कार्य करवाए जा रहे हैं।

1. जल संरक्षण 2. सूखा नियंत्रण 3. सिंचाई के छोटे–बड़े काम, 4. भूमि सुधार, 5. तालाबों की सफाई पारम्परिक जलाशयों का पुनरूद्धार, 6. भूमि विकास, 7. बाढ़ नियंत्रण, 8. कृषि व बागवानी से संबंधित कार्य, 9. रास्तों व सड़कों का निर्माण, 10. पानी के लिए निर्माण आदि कार्य करवाए जाते हैं। इन सब कार्यों के कारण गांव का विकास भी हुआ और जरुरतमंद परिवारों को गांव स्तर पर 100 दिन का रोजगार भी मिला। मनरेगा में अधिकांश क्षेत्रों में महिलाऐं कार्य करती हैं। इससे महिलाओं के आर्थिक आत्म निर्भरता की ओर कदम बढ़े तथा गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिली।

मई 2014 में केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार ने गठन के साथ ही मनरेगा पर हमला करते हुए बजट में कटौती कर दी और सभी राज्यों के मनरेगा के बजट में कटौती का फरमान जारी कर दिया। इस बजट कटौती के लिए ग्रामीण स्तर के सभी कार्यो को ठेकेदारों के माध्यम से करवाने के बहाने बनाए गए। नरेद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य में जुटे मजदूरों का रोजगार छीनने का मन बना लिया और अघोषित रूप से सारा काम ठेकेदारों के माध्यम से करवाने की नीयत साफ कर दी।

मनरेगा में सामग्री घटक व मजदूरी घटक का पैसा राज्यों को छः महीने तक जारी नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मनरेगा से सम्बन्धित सभी काम ठप्प पड़े हुए है। इस दौरान सीमेंट, बजरी, रेत व मजदूरी के रेट बढ़े हैं। परन्तु मनरेगा का बजट उस अनुपात में नहीं बढ़ा। सीमेंट, बजरी, रेत व मजदूरी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केंद्र द्वारा जारी मनरेगा का बजट रू० 65000 करोड़ होना चाहिए था। परन्तु केन्द्र सरकार ने मनरेगा बजट में पहले की अपेक्षा मामूली बढ़ोतरी की है। वर्ष 2016–17 में केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट रू० 47604 करोड़ रखा था और वर्ष 2017–18 के लिए यह राशि रू० 48000 करोड़ की गई है जो कि बहुत कम है।

भाजपा सरकार द्वारा 10 फरवरी 2017 के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी पत्र अनुसार अब वर्ष में 50 दिन कार्य करने वाले मनरेगा मजदूर भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं बन पाएंगे। सरकार के इस मजदूर विरोधी निर्णय के चलते मनरेगा मजदूर अब निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं बन पाएगें और मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवषति, मैडिकल सुविधा, बच्चों की शादी के लिए पैसे, पैंशन आदि की सुविधा नही मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर में करोड़ों मनरेगा मजदूरों की समाजिक सुरक्षा खत्म कर दी गई है। मोदी सरकार कोरी गाल बजायी करके मजदूरों के हितैषी होने का नाटक कर रही है परन्तु केन्द्र सरकार के फैसलों से मनरेगा को कमजोर व पंगु बनाकर मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ सीटू के नेतष्त्व में मनरेगा मजदूरों का जन आन्दोलन विकसित करने की आवश्यकता है। नरेद्र मोदी सरकार ने पहले मनरेगा को कमजोर किया और अब मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को भी छीन लिया यह एक घोर निन्दनीय कदम है।

सीटू राज्य व जिला कमेटियों को मनरेगा मजदूर को रोजगार दिलवाने के लिए, पंचायत सचिव के पास फार्म नम्वर 4 जमा करवाने के लिए लामबन्द करना चाहिए। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना चाहिए तथा भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को भवन एवं अन्य निमार्ण कामगार कल्याण बोर्ड के लाभों से वंचित व बाहर करने के खिलाफ आन्दोलन के लिए लामबन्द करना चाहिए।

## कोयला

# जून में कोयला मजदूरों की तीन दिन की हड़ताल

कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के कई राज्यों में फैली इसकी सब्सिडियरीज के लगभग 3 लाख स्थायी व 2.5 लाख ठेका मजदूर; तथा केन्द्र सरकार व तेलंगाना सरकार के संयुक्त उपक्रम सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस सी सी एल) के तेलंगाना के चार जिलों में फैले लगभग 60,000 स्थायी व 50,000 ठेका मजदूर, सीटू, एटक, इंटक, एच एम एस व बी एम एस की सभी पाँचों कोल वर्कर्स फेडरेशनों की ओर से संयुक्त रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों ही कोयला उपक्रमों के चेयरमैंनो तथा भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव को 9 मई को सौंपे अपनी 7 सूत्री मांगों के मांगपत्र को लेकर 19 से 21 जून तक 3 दिन लगातार हड़ताल पर रहेंगे।

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ई सी एल) पश्चिम बंगाल व झारखंड; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सी सी एल), झारखंड; साऊथ–ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एस ई सी एल), छत्तीसगढ व मध्यप्रदेश; वैस्टर्न कोलफील्ड्स (डब्लू सी एल) महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश; नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन सी एल), मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम सी एल), ओडिशा; नार्थ–ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम सी एल), ओडिशा; नार्थ–ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, असम, मेधालय, नगालैंड व अरूणाचल प्रदेश; तथा सभी प्रोडक्शन सब्सिडिरीज को मदद करने वाली सेंटर माइन प्लैनिंग एंड डिजाईन इंस्टीब्यूट लिमिटेड (सी एम पी डी आर एल), कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरीज हैं।

मॉगपत्र की 7 मांगे हैं, (1) सी एम पी एफ व ई पी एफ के प्रस्तावित विलय को रोको; (2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सी एम पी एक आधारित पेंशन जारी रखो; (3) पिछले वेतन समझौते को पूरी तरह लागू किया जाये–एन सी डब्ल्यू ए1; (4) लंबित वेतन समझौते

पर जल्द वार्ता व समझौता हो–एन सी डब्लू ए ; (5) लगातार जारी रहने वाले कामों में ठेकाकरण रोको, समान काम के लिए समान वेतन दो; (6) ओवर टाईम भुगतान और कानून अनुसार दोगुने वेतन की बहाली पर सीलिंग व बंदिश को समाप्त करो; (7) कोयला खदानों को बंद करने के फैसले को तुरन्त वापस लो। मजदूरों के लिए फौरी चिंता का विषय है मोदी सरकार द्वारा कोल माईन्स पोविडेंट फंड (सी एम पी एफ) का एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फंड में विलय। ई पी एफ की तुलना में सी एम पी एफ अधिक फायदेमंद है।

कोयला मजदूरों की यह हड़ताल मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भारी विनिवेश व निजिकरण की मुहिम की पृष्ठभूमि में अहम है। कोयला मजदूरों की पिछली संयुक्त हड़ताल 6–7 जनवरी, 2015 को हुई थी। 17 दिसम्बर, 2014 को कोयला मजदूरों की सभी पांचों फेडरेशनों ने कोयला अध्यादेश व कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 के माध्यम से सी आइ एल के निजिकरण व विनिवेश के खिलाफ संयुक्त रूप से 5 दिन की हड़ताल का नोटिस दिया था। 6 जनवरी, 2015 को शुरू हुई उस हड़ताल को कोयला मजदूरों का शानदार समर्थन मिला था। तथापि, 2 दिन की हड़ताल के बाद, सीटू को छोड़कर, शेष सभी कोल फेडरेशनों ने हड़ताल वापस ले ली। इसके फौरन बाद, 30 जनवरी 2015 को सी आई एल के और 10 प्रतिशत शंयरों को बेच दिया जिससे सरकार की हिस्सेदारी 79.65 प्रतिशत से घटकर 69.65 प्रतिशत रह गयी। सी आई एल के महारत्न कंपनी और इसकी कई सब्सिडियरीज के मिनी महारत्न कंपनी होने के चलते सरकार ने इस बिक्री से 22557.63 करोड़ रूपये अर्जित किये। उसी वर्ष, 18 नवम्बर, 2015 को मोदी सरकार ने सी आई एल में सरकार के और 10 प्रतिशत हिस्से को बेचने की मंजूरी दे दी। तभी से यह मुद्दा गरमाया हुआ है।

# सी.एम.पी.एफ. के ई.पी.एफ. में विलय की सरकारी कोशिश क्यों ?

## -आर पी सिंह, उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फैडरेशन

वर्तमान मोदी सरकार ने ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद ''कोयला खान (विषेश प्रावधान) अधिनियम 2015'' पारित कर निजी मालिकों को कोयला बेचने का अधिकार दे दिया था। 'कोयला खान (विषेश प्रावधान) अधिनियम 2015' के पारित होने से पहले 'कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972' के कारण निजी मालिक अपने कारखाने में उपयोग करने के लिए "कैप्टिव" आधार पर कोयले का उत्पादन तो कर सकते थे लेकिन "कैप्टिव खदानों" से उत्पादित कोयलो को बाजार में बेच नहीं सकते थे।

निजी मालिकों और सार्वजनिक क्षेत्र के आउट सोर्सिंग के बड़े ठेकेदारों ने सरकार से मांग की है कि सरकार वर्तमान श्रम कानूनों के अंतर्गत मजदूरों/कर्मचारियों/अफसरों के प्रति मालिकों के दायित्व को कम करे और उनपर श्रम कानूनों की बंदिशों को समाप्त करे। यह सर्वविदित है कि कोल माईन्स प्रोवीडेन्ट फण्ड एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत किसी भी कोयला खदान (चाहे खदान सरकारी हो या निजी) में काम करनेवाले मजदूरों/कर्मचारियों/अफसरों को सी.एम.पी.एफ. का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया है।

सी.एम.पी.एफ. (कोयला खदान भविश्य निधि) के सदस्यों को ई.पी.एफ. (कर्मचारी भविष्य निधि) की तुलना में ज्यादा लाभ मिलता है और साथ ही सी.एम.पी.एफ. कानून के तहत मालिकों को मजदूरों के खाते में ज्यादा अंशदान करना होता है और इसका पालन भी सख्ती के साथ करने का प्रावधान किया गया है। इससे बचने और अपने दायित्वों को सीमित करने की माँग मालिकों द्वारा की गई है। वर्तमान सरकार ने इस पर सहमति जताई है और निजी मालिकों के दायित्व को कम करने के उद्देश्य से सी.एम.पी.एफ. को ई.पी.एफ. में विलय करने की सरकारी साजिश शुरू की गई है।

अगर सी.एम.पी.एफ. का ई.पी.एफ. में विलय कर दिया जाता है तो मालिकों/इम्प्लॉयरों के द्वारा कामगारों की भविष्य निधि (पी.एफ.) में दिए जानेवाले अंशदान को सकल अधिकतम् वेतन रु० 15000/– के 12% तक यानी कुल रु० 1800/– प्रतिमाह तक सीमित किया जा सकता है। अर्थात कामगार का वेतन चाहे एक लाख रुपये हो, मालिक/इम्प्लॉयर का दायित्व केवल 15000/– के 12% तक यानी 1800/– प्रतिमाह तक ही सीमित होगा। मजदूर का वेतन चाहे जो हो, उसे भी अधिकतम रु० 15000/– मानकर ही ई.पी.एफ. की कटौती की जायगी। ई.पी.एफ. कमिश्नर और मालिकों की विषेश अनुमति लेकर मजदूर ज्यादा EPF की कटौती अपने वेतन से करवा सकता है, लेकिन मालिक/नियोजक का दायित्व अधिकतम रु० 15000/– पर ई.पी.एफ. में अंशदान देने या यूं कहें कि रु० 1800/– प्रति मजदूर/कर्मचारी/अफसर प्रति माह तक ही सीमित होगा। इस रु० 1800/– में से भी केवल रु० 15000/– के 3.67% यानी कुल रु० 550.50 (Rounded up रु० 551/-) ही मजदूरों/कर्मचारियों/अफसरों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते (पी.एफ. एकाउन्ट) में जायेगा और रु० 15000/– का 8.33% यानी रु० 1249.50 (Rounded up रु० 1250/– ) पेंशन खाते में चला जायेगा।

पेंशन का निर्धारण भी अधिकतम् वेतन रु० 15000/– मानकर उसके 50% यानी अधिकत्तम रु० 7500/– ही किया जा सकता है। यह पूरी पेंशन होगी जो उसे मिल सकती है जिसने 30 साल की पेंशनबल सर्विस पूरी की हो। ई.पी.एफ. में पेंशनबल सर्विस की गणनाा 16 नवम्बर 1995 से करने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि 2017 तक किसी ने भी 30 साल की पेंशनबल सर्विस पूरी नहीं की है। 2017 तक केवल 22 सालों की अनुपातिक पेंशन यानी अधिकतम् रु० 5500/– पेंशन ही मिल पाएगी।

अगर सरकार सी.एम.पी.एफ. को ई.पी.एफ. में विलय करने की योजना में सफल रहती है तो कोयला मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से जो घाटा होगा उसे नीचे चार्ट में दिये उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लिया जाय कि किसी मजदूर/कर्मचारी/अधिकारी का वेतन रु० 60000/- है जिस पर वह पी.एफ. में अंशदान करता है तो जो स्थिति बनेगी उसे निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

| प्रतिमाह अंशदान | सी.एम.पी.एफ. | ई.पी.एफ. | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| मजदूर का अंशदान | 7200 | 1800 | विशेष अनुमति से 7200रूपये तक |
| नियोजक का | 7200 | 1800 | 1800 तक सीमित रहेगा। |
| कुल जमा | 14400 | 3600 | |
| पेंशन फण्ड में हस्तांतरण | 334 | 1250 | सी.एम.पी.एफ.के तहत मासिक पेंशन रु०15000रू ई पी एफ के तहत मासिक पेंशन 2017 तक रु० 5500/-। |
| पी एफ में मासिक जमा | 14066 | 2350 | |

अर्थात मजदूर के पीएफ खाते में प्रतिमाह रु० 11716/- कम जमा होंगे। यदि मजदूर विशेष अनुमति से 12% का अंशदान करता है तब भी उस्के खाते में रु० 6316/- प्रतिमाह कम जमा होंगे। सेवानिवृति तक मजदूरों को लाखों रूपयों की हानि होगी और नियोजकों को अरबों रूपयों का लाभ होगा। आज आउट्सोर्सिंग ठेके में कार्यरत ठेका मजदूर भी इससे प्रभावित होंगे जिन्हे सी.एम.पी.एफ. का सदस्य बनाने की मुहिम ट्रेड यूनियनें चला रही हैं और कई कम्पनियों के ठेका मजदूर सी.एम.पी.एफ. के सदस्य बने भी हैं। मोदी सरकार का यह मजदूर वर्ग के भविष्य पर बेशर्मी भरा हमला है।

सरकार के इस प्रयास ने सरकार और कोयला मंत्रालय के दो इरादों को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है – (1) सरकार बड़े पैमाने पर कोयला क्षेत्र का निजीकरण करने और निजी क्षेत्र को कोयला खुले बाजार में बेचने की खुली छूट देने जा रही है। और (2) कोयला मजदूरों के भविष्य से खिलवाड़ कर निजी क्षेत्र के दायित्वों को सीमित करने तथा कॉरपोरेटों को भारी छेट देने जा रही है। इसके अलावे एक तीर से कई शिकार करने की भी सरकार की योजना है –

कोयला उद्योग में कार्यरत सभी राष्ट्रीय फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से सी.एम.पी.एफ. का ई.पी.एफ. में विलय के विरोध और वेतन समझौते आदि की माँगों को लेकर 19 से 21 जून 2017 को हड़ताल का नोटिस कोयला सचिव को दे दिया है। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान देकर गोयबल्स (हिटलर का प्रचार मंत्री) को भी पीछे छोड़ते हुए कहा है कि "सी.एम.पी.एफ. का ई.पी.एफ. में विलय मजदूरों के लिए फायदेमंद है"। उपरोक्त चार्ट कोयला मंत्री के झूठ की कलई खोलता है।

एक और अफवाह कोयला मंत्रालय द्वारा फैलाई जा रही है कि "भविष्य में नियुक्त होनेवाले कर्मियों के लिए ई.पी.एफ. लागू करने पर समझौता हो सकता है।' ऐसा कोयला कर्मियों को भ्रमित कर उनकी प्रस्तावित हड़ताल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि अगर ऐसा हुआ तो यह भविष्य में भर्ती होने वाले कोयला कर्मियों के लिए तो हानिकारक होगा ही, वर्तमान कोयला कर्मियों के लिए और भी घातक होगा। क्योंकि कोयला कर्मियों की पेंशन योजना के निरन्तर जारी रहने के लिए उसमें निरन्तर अंशदान का जारी रहना आवष्यक है। वर्तमान कोयला कर्मियों के अंशदान से ही पेंशन कोश में निरंतरता बनी रहती है जिससे सेवानिवृत कर्मियों को पेंशन मिलती है। यह एक श्रृंखला (चेन) है जो टूटनी नहीं चाहिए। इसके टूट जाने से पेंशन का भुगतान बन्द हो जाएगा। क्योंकि नए भर्ती होने वाले कामगार अगर सी.एम.पी.एफ. की जगह ई.पी.एफ. के सदस्य बनेंगे तो उनका अंशदान सी.एम.पी.एफ. में न आकर ई.पी.एफ. में जायेगा।

कुछ समय पहले ही जे.बी.सी.सी.आई. की एक सब कमिटी में तय होने के बाद प्रबन्धन और यूनियनों की सी.एम.पी.एफ. कमिश्नर के साथ हुई वार्ता के बाद यह सहमति बनी थी कि कामगार और प्रबंधन वेतन के 7.7% का योगदान पेंशन फंड में देंगे जिससे पेंशन फंड इतना मजबूत हो पायेगा कि कम से कम वर्तमान दर से ही सही, पेंशन का भुगतान जारी रखा जा सकता है। यह फैसला पेंशन फंड के Actuarial valuation के आधार पर संकुचित होते पेंशन फंड को सुदृढ़ करने के लिये लिया गया था। प्रबंधन ने भी इसपर अपनी सहमति दी थी। साथ ही यह भी सोचा गया था कि पेंशन फंड के और सुदृढ़ होने पर पेंशन में बढ़ोत्तरी की बात सोची जा सकती है। अपने हिस्से के 7% अंशदान में से मजदूर वर्तमान में 5.67% योगदान कर ही रहा है तो उसे केवल 1.33% और योगदान करने की जरूरत होगी। यह कोयला मजदूरों के भविष्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण फैसला था। अब सरकार नए हथकंडों से इसके अमल पर रोक लगाना चाह रही है। इस चेन को टूटने देने का कोई समझौता कोयला मजदूर/यूनियनें स्वीकर नहीं कर सकतीं। इसलिए किसी भी ऐसे प्रयास या अफवाहों का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है।

कुल मिलाकर यह कि सरकार कोल इंडिया को कंगाल कर इसे बर्बाद कर देने पर आमादा है ताकि अपने चहेतों को देश के कोयला जैसे महत्वपूर्ण उर्जा स्रोत पर एकाधिकार स्थापित करवा सके। सोची समझी योजना के तहत सरकारों ने कोल इंडिया के "रिजर्व एण्ड सरप्लस" फण्ड जो मार्च 2013 तक रु० 62636 करोड़ था, जिसका उपयोग नयी परियोजनाओं में होना था, को हड़प लिया। इसके लिए सबसे पहले कोल इंडिया को 290% लाभांश घोशित करने को बाध्य किया गया। इसके द्वारा रु० 19574 करोड़ से ज्यादा की रकम कोल इंडिया से सरकारी खजाने में गया। अब सरकार कोल इंडिया की सब्सिडियरी कम्पनियों सीसीएल, ड्ब्लूसीएल, एमसीएल और एनसीएल द्वारा अपने शेयरों का बाइ–बैक करवा रही है ताकि कोल इंडिया रु० 15000 करोड़ का लाभांश (रु० 11640 करोड़ लाभांश और बाकी लाभांश भुगतान टैक्स) सरकार को दे सके। एनसीएल द्वारा प्रस्तावित 4.29: शेयरों की बाई–बैक की जगह 23.14%, एमसीएल द्वारा प्रस्तावित 2.97% की जगह 24.33, एसइसीएल द्वारा प्रस्तावित 4.18% की जगह 16.93% शेयरों की वापस खरीद करवायी गयी। सी.सी.एल. रु० 1001.88 करोड़ के शेयरों का बाई–बैक कर रहा है। खबर है कि सरकार के इस फैसले को लागू करने से सी सी एल की वित्तीय हालत खराब हो गई है और उसे कामगारों के वेतन भुगतान के लिए एम सी एल से रु० 500 करोड़ कर्ज लेना पड़ा।

# सड़क परिवहन

बिहार व हरियाणा में सड़क परिवहन मजदूरों की व्यापक रुप से सफल हड़तालों (*सीटू मजदूर अप्रैल/मई 2017*) के बाद; असम व तमिलनाडु के सड़क परिवहन मजदूरों ने भी हड़तालें कीं। इनसे सम्बन्धित रिपोर्ट निम्नलिखित है :

## असम

## सड़क परिवहन की पूर्ण हड़ताल

मोदी सरकार के प्रतिगामी मोटर ट्रान्सपोर्ट एक्ट एंड सेफ्टी बिल के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते हुए समूचे सड़क परिवहन क्षेत्र के मजदूरों ने 25 अप्रैल को 24 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल से पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ठप्प कर दिया। गुवाहाटी शहर में हड़ताल का मिला–जुला असर रहा। निजी बसें पूरी तरह से बन्द रही।

**हड़ताल के दिन वीरान पड़ा हमेशा व्यस्त रहने वाला झालुकबाड़ी फ्लाईओवर**

हड़ताल का आह्वान् चार यूनियनों – ऑल इण्डिया ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की असम राज्य ईकाई, ऑल असम मोटर वर्कर्स फेडरेशन, मोटर वर्कर्स ज्वायंन्ट फॉरम तथा पेट्रोलियम मजदूर यूनियन की ओर से किया गया था।

## तमिलनाडु
## राज्य सड़क तरिवहन मजदूरों की पूर्ण हड़ताल

तमिलनाडू के सड़क परिवहन मजदूरों ने 15–16 मई को पूर्ण राज्यव्यापी हड़ताल की।

सीटू, एटक, एल.पी.एफ. एच.एम.एस. व अन्य ट्रेड़ यूनियनों ने संयुक्त रुप से अपनी माँगों का ज्ञापन प्रबंधन व राज्य सरकार को दिया था। सरकार व प्रबंधन द्वारा उस पर घ्यान न दिए जाने के बाद यूनियनों ने फरवरी 2017 में हड़ताल का नोटिस दिया। हड़ताल के नोटिस

के बाद भी, प्रबंधन व सरकार ने काई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर यूनियनों ने 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। लेकिन मजदूर 14 तई की शाम से ही हड़ताल पर चले गए।

हड़ताल की माँगों में सेवानिवृत कर्मचारियों के सभी बकायों का तुरन्त भुगतान किए जाने; मजदूरों की काटी गयी तमाम राशि को सम्बनिधत

प्राधिकारों के पास जमा कराने; सितम्बर 2016 से लागू किए जाने वाले 13वें वेतन समझौते पर फौरन वार्ता कर उसे लागू करने; राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समान वेतन व सेवा शर्तें; तथा बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सड़क परिवहन निगम को पैसा आवंटित किए जाने की माँगें शामिल रहीं।

हड़ताल अभूतपूर्व व समूचे राज्य में पूर्ण रही जिसमें 22,000 बसें डिपुओं में खड़ी रही। यहाँ तक कि शासक पार्टी से सम्बद्ध यूनियनों के मजदूरों ने भी हड़ताल में भाग लिया।

सरकार को यूनियनों के साथ जरुरी वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा तथा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के बकायों के भुगतान के लिए 1250 करोड़ रुपए देने की लिखित घोषणा करनी पड़ी। यही नहीं सरकार ने अन्य माँगों को हल करने के लिए यूनियनों के साथ अगले 3 महीने के भीतर चर्चा व वार्ता का आश्वासन दिया जिसके बाद हड़ताल समाप्त की गयी।

तमिलनाडू सड़क परिवहन को सरकार द्वारा तय की गयी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के क्रम में रोजाना लगभग 5 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। निगम गैर–फायदेमन्द रुटों पर 1200 बसें चलाता है। निगम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 200 करोड़ रुपयें सालाना कीमत के मुफ्त पास प्रदान करता है जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही।

निगम के ऊपर सेवानिवृत्त मजदूरों के गैर–भुगतान किए गए सेवानिवृत्त लाभों की पिछले 7 वर्षों की देनदारी बकाया है जो लगभग 1700 करोड़ रुपये है। निगम, पी.एफ. ग्रेच्युटी, क्रेडिट सोसायटी, एल.आई.सी. प्रीमियम व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मद में कर्मचारियों के वेतन से काटे गए लगभग 4500 करोड़ रुपये जमा कराने में असफल रहा है। ये दोनों मिलाकर लगभग 7000 करोड़ रुपये बनते हैं।

परिवहन मजदूरों के वेतन का स्तर भी अन्य राज्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बिजली बोर्ड, नगर निगम, नागरिक आपूर्ति आदि से कम है। इस स्थिति में मजदूरों के बीच पैदा व जमा हुआ गुस्सा 14–15 मई को पूर्ण हड़ताल में दिखायी पड़ा। (*के.सी. गोपी कुमार*)

## ***सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा .....***पृष्ठ 13 का शेष

लिए ग्रैच्युईटी लागत को 2% (यह 4–6% के बीच कहीं भी हो सकता है) की सब्सिडी देता है। पैसा या तो करों या श्रमिकों से उच्च योगदान के माध्यम से आना चाहिए या कुछ क्रॉस–सब्सिडीकरण होना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय वी–बी के लिए धन्यवाद, श्रमिकों के लिए पांच साल की ग्रेच्युटी पात्रता काफी कम रोजगार अनुबंधों की बढ़ती घटनाऐं काफी गंभीर है।

इसलिए, ग्रैच्युइटी का कम समय के श्रमिकों के लिए कोई अर्थ नहीं है। इस अर्थ में कोड में भारी कमी है। पुनश्च कोई भी उस धारा के मामले में सुनिश्चित नहीं हो सकता जिसके तहत ठेका मजदूरों की ग्रेच्यईुटी की अंततः जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता की निर्धारित है, हालाँकि यह सैद्धान्तिक रुप से दो कारणों से अच्छा हैः एक, आउटसोर्सिंग की लागत के कोण पर वार करेगा और दूसरे, यह भेदभाव और वास्तविक अनुबंधों के लिए जटिलताओं को पैदा करेगा।

एन.सी.ई.यू.एस. द्वारा गठित सरल प्रशासनिक मशीनरी के विपरीत, कोड में नीति बनाने और प्रशासन निकायों के एक विशाल ढांचे पर विचार किया गया है – राष्ट्रीय परिषद (सर्वोच्च निकाय को नीतियां बनाने के लिए), केन्द्रीय बोर्ड (केंद्रीय स्तर पर एक प्रशासनिक निकाय), स्टेट बोर्ड, राष्ट्रीय समिति की सहायता के लिए एक कार्यकारी समिति, राज्य बोर्ड, एक चिकित्सा परिषद और केंद्रीय और राज्य सलाहकार समितियों की सहायता के लिए एक स्थायी समिति यह एक बहुत ही जटिल ढ़ाँचा है, क्योंकि कोड प्रत्येक के लिए कई फंक्शन (कुछ भी अतिव्यापी) को सूचीबद्ध करता है।

इस अधोसंरचना की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह मानता है कि उच्चतम् दृष्टिकोण, जो कि केंद्रित स्तर पर विचारित नीतियों और कार्यक्रमों से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का कल्याण होगा, हालांकि कोड दो–तरफा संचार नेटवर्क की कल्पना नहीं करता है। इसके अलावा, क्या राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता के रूप में प्रधान मंत्री को बैठकें आयोजित करने और विशाल कार्यक्रम का बेहतर विवरण समझने का समय होगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

एक आशंका है कि नौकरशाही से सबसे बड़ा खतरा होगा, इसके अलावा, इन निकायों को चलाने का वित्तीय भार कौन उठाएगा? इन निकायों के समर्थन के लिए कर का बोझ गंभीर चिंताओं को उठाता है, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता के निकायों की मजबूत स्थिति होनी चाहिए, जो कोड में नहीं दिख रही है। उदाहरण के लिए, नियोक्ता नेशनल काउंसिल से गायब है (सौजन्य सेः डेकन हेराल्ड, 2 मई, 2017; प्रो० के.आर. श्याम सुंदर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर)

# सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा कोड लागू करने की मुश्किलें

## प्रोफेसर के.आर. श्याम सुन्दर

श्रम के क्षेत्र में विधायी ढ़ाँचा औपचारिक रोजगार सम्बन्धों के अस्तित्व की मौजूदगी और एक निश्चित आकार के सुनिश्चित मानदण्ड (प्राथमिक रुप से लागू करने में सरलता और दूसरी आर्थिक अवधारणा कि जो ठोस विकास होता है उससे अर्थ व्यवस्था में वृद्धि होती है) के आधार पर निर्देशित है।

इसलिए सामाजिक सुरक्षा सहित अधिकांशतः श्रम कानूनों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विशाल संख्या को छोड़ दिया है, अर्थात् जिनके पास रोजगार सम्बन्ध नहीं हैं (स्व–रोजगार) और जहाँ कानूनी स्तर 10 से भी कम श्रमिक कार्यरत है।

श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग (एस.एन.सी.एल.) ने अंततः सामाजिक सुरक्षा को कई वैश्विक सम्मेलनों के अनुरुप एक मूल अधिकार बनाने के लिए तर्क दिया, जबकि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) ने तो 0.5% से कम राष्ट्रीय आय की कीमत पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम् सामाजिक सुरक्षा के लिए तर्क दिया।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 जैसे बनाए खराब श्रम कानूनों की मौजूदगी के बावजूद भी श्रम कानूनों के क्षेत्र में भारी शून्यता मौजूद है। यह इस संदर्भ में है कि सरकार अप्रैल 2017 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर जो व्यापक लेबर कोड का मसौदा लेकर आयी है, उस पर, नीति पर नजर रखने वालों ने गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है।

यह महत्वाकांक्षी और सार्वभौमिक प्रकृति का है क्योंकि इसका उद्देश्य सभी प्रकार के श्रमिकों – कर्मचारियों और गैर–कर्मचारियों (उन औपचारिक रोजगार संबंधों के बिना) और भारत में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को भी शामिल करना है। इस तरह के एक विशाल परिमाण में कोड की 'कार्यान्वयनशीलता' के रूप में यह एक और प्रश्न है। इसके अलावा, खेत मजदूर और स्वयंरोजगार श्रमिक एक अलग तरह के होते हैं।

यहां तक कि एनसीईयूएस ने असंगठित कृषि श्रमिकों और असंगठित गैर–कृषि मजदूरों के लिए दो अलग–अलग बिलों की सिफारिश की है कि खेत मजदूरों के लिए श्रम प्रवर्तन मशीनरी कई राज्यों में सामान्य मशीनरी से अलग हैं।

यह इसलिए भी कि खेत मजदूर काम की कुछ अनूठी विशेषताओं के कारण अलग हैं और लेबर फोर्स में भी उनकी बड़ी संख्या भी है। इसके अलावा, निरीक्षक राज के उदारीकरण के संदर्भ में, कोड के 'कार्यान्वयन के मुद्दों' से संबंधित डर को दूर करना भी मुश्किल है।

इस कोड की कवायद के उद्देश्य के तौर पर – इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई कानूनों को सरल, तर्कसंगत बनाने और मजबूत करने के लिए, ही यह कोड प्रस्तुत किया गया है जो पूरी तरह से मिथ्या है। कोड के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसकी व्यापकता के बावजूद, यह कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यह लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले हितलाभों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।

नियम शायद स्पष्टता से परिभाषित करने होंगे, जो कि पूरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के संचालन तंत्र और कार्यान्वन विवरण के संबंध में लटके हुए प्रश्न हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य मशीनरी कितने स्व–नियोजित मजदूरों (जो कि 2011–12 में कुल वर्कफोर्स का आधे के करीब है) को सूचीबद्ध करेंगी।

उच्च–कमाई के स्व–रोजगार वालों को कोड की योजनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि संहिता द्वारा देय लाभ से बहुत अधिक (अभी तक) वाणिज्यिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से मिल सकता है और राज्य की सहज संदेह के कारण भी हो सकता है। दूसरी ओर, असंगठित श्रमिकों के कम वेतन से 20% का योगदान बहुत अधिक है।

यह एक आदर्शवादी परिकल्पना ही है कि असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को अच्छे वेतन का भुगतान किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी मिलती है और यह अनजाने में स्वीकार करता है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा सकता है! इस कोड को स्पष्ट रूप से उम्मीद है कि सामाजिक सुरक्षा के अपने हिस्से का भुगतान करते समय स्वरोजगार के लिए अपने वेतन को बढ़ाकर दर्ज करेंगे जबकि केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार आयकर का अनुपालन बहुत कम है।
नियोक्ता को शिकायत करने का मौका भी बहुत कम होगा क्योंकि कोड 17.5% की पेरोल कर की छूट है और कुल वेतन लागत के

*(शेष पष्ठ 12 पर)*

# राज्यों से

## हरियाणा

### नीतिगत एवं शारीरिक हमलों के खिलाफ

# ईंट-भट्ठा मजदूरों का संघर्ष

लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष व सीटू जिला सचिव रमेश चन्द्र सहित अन्य मजदूर नेताओं पर नगुरा गाँव के बस अड्डे पर भट्ठा मालिक व उसके किराये के गुंडों द्वारा हमला किये जाने के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय जींद पर हजारों की संख्या में मजदूरों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस गुंडागर्दी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। गौरतलब है कि सीजन 2016–17 के लिए भट्ठा मजदूरों की मजदूरी को तय करवाने की माँग को लेकर चल रहे मजदूरों के आन्दोलन से भट्ठा मालिकों की बौखलाहट शारीरिक हमलों के तौर पर सामने आ रही है जिसके चलते मजदूर नेताओं पर दो बार हमले किये जा चुके हैं।

भट्ठा मालिकों की गुंडागर्दी के खिलाफ हजारों की संख्या में मजदूरों के अनिश्चितकालीन पड़ाव में बोलते हुए मजदूर नेताओं ने मालिकों के इस कायरतापूर्ण रवैये और गुंडागर्दी की कड़ी निंदा की और मजदूर नेताओं पर हमला करने वाले गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मजदूरों को संबोधित करते हुए लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन राज्य उपाध्यक्ष व सीटू जिला सचिव रमेश चन्द्र ने कहा कि मजदूरों की रोजी रोटी की लड़ाई को गुंडागर्दी के दम पर दबाने की कोशिश को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए मालिकों ने जो गुंडागर्दी की है उसका जवाब मजदूरों ने आज हजारों की संख्या में एकजुट होकर दिया है व आगे भी देंगे, इस तरह के हमलों से मजदूर आन्दोलन कमजोर होने की बजाय और तीखा होकर आगे बढेगा। मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन ने हरियाणा में अनेकों बार लाठी–गोली का सामना किया है और जीत हासिल की है।

पड़ाव को सीटू के राज्य  कार्यकारी अध्यक्ष व लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन राज्य महासचिव विनोद कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकारों द्वारा देश और प्रदेश में मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले किये जा रहे हैं सरकार की शह पर श्रम कानूनों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसके कारण भट्ठा मालिक सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं हरियाणा का मजदूर आन्दोलन इस गुंडागर्दी का मुहं तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भट्ठा मालिक मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी देने में आना–कानी कर रहे हैं वहीँ दूसरी तरफ महंगे भाव में पक्की ईंटें बेचकर उपभोक्ता की जेब काटकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। जिसके खिलाफ जनता के सभी हिस्सों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है।

प्रदर्शन को भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य महासचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि मालिको की गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा और प्रदेश का निर्माण मजदूर पूरी तरह से भट्ठा मजदूर आंदोलन के साथ है तथा हर संभव मदद करेंगे।

29 अप्रैल को नरवाना, 30 अप्रैल को जींद में भट्ठा मजदूरों की मीटिंगों में आन्दोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। आक्रोश प्रदर्शन में माकपा के राज्यसचिवमंडल सदस्य प्रकाश चन्द्र, किसान सभा के राज्य उपप्रधान फूल सिंह श्योकंद, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामफल दलाल, भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला प्रधान कश्मीर सेलवाल, कपूर सिंह, सुभाष पांचाल, भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य प्रधान नरेश, जिला प्रधान एवं जिला पार्षद मोनू दनौदा, आंगन वाडी यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव शकुंतला, जनवादी महिला समिति जिला प्रधान नूतन प्रकाश छात्र नेता सागर ने भी सम्बोधित किया। *(सतबीर खरल, जिला सचिव, लाल झन्डा भट्ठा मजदूर यूनियन, जींद)*

# सीटू राज्य कमेटी द्वारा हमले की कड़ी निन्दा
# हमलावरों की गिरफ्तारी की माँग

सीटू हरियाणा राज्य कमेटी ने जीन्द में सीटू कार्यालय में एक भट्ठा मालिक द्वारा सीटू व लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष पर गुडों के साथ किए गए हमले की कड़े शब्दो में निंदा करते हुए माँग की कि हमलावर भट्ठा मालिक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए व हड़ताली मजदूरों की माँगों का समाधान किया जाए।

सीटू के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार, महासचिव जयभगवान, कोषाध्यक्ष सुखबीर सिंह ने कहा कि जीन्द जिला के भट्ठा मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने व अन्य जायज माँगों को लेकर 12 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। भट्ठा मालिक भट्ठों पर श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकारी मशीनरी, जिला प्रशासन व श्रम विभाग बेशर्मी के साथ मालिकों के साथ खड़े हैं व जायज माँगों का समाधान नहीं करवा रहे हैं। यूनियन व सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रमेश जो मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं पर 20 अप्रैल को पहले एक भट्ठा मालिक द्वारा मार देने की धमकी भरा फोन आया व कुछ समय बाद गुंडों के साथ यूनियन कार्यालय में हमला कर दिया। पुलिस को की गई शिकायत के बावजूद दोषी को गिरफतार नहीं किया गया है।

सीटू ने चेतावनी दी है कि जल्द ही हमलावर भट्ठा मालिक को गिरफतार किया जाए व आंदोलनरत मजदूरों की माँगो का समाधान हो। 21 अप्रैल को जीन्द में हजारों मजदूरों ने इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सीटू राज्य कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष रमेश कुमार, कोषाध्यक्ष सुखबीर सिंह व सीपीआईएम राज्य सचिव सुरेन्द्र सिंह ने संबोधित किया। 24 अप्रैल को दोपहर डेढ बजे के करीब नगुरां बस स्टैंड पर मालिकों ने अपने गुंडों के साथ रमेश व यूनियन के अन्य नेताओं पर दोबारा हमला कर दिया। सभी मजदूर नेता 25 अप्रैल के मजदूर प्रदर्शन के सिलसिले में जा रहे थे। रमेश व अन्य साथी को हस्पताल में भर्ती किया गया।

सीटू ने कहा है कि यह मालिकों की गुडांगर्दी हैं। वे मांगों का समाधान करने की बजाय नेताओं पर शारिरिक हमले कर रहे हैं। 20 अप्रैल को पहले हमले की प्राथिमिकी दर्ज होने के बावजूद जीन्द जिला प्रशासन ने बेशर्मीपूर्ण रूख अपनाते हुए हमलावर मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की सीटू ने इसकी कड़े शब्दो में निंदा की है। सीटू ने अपनी तमाम कतारों व अन्य संगठनों से आहवान किया है कि इस गुण्डागर्दी के खिलाफ जीन्द उपायुक्त कार्यालय पर होने वाले प्रदर्शन में भारी संख्या में भाग ले। सीटू ने राज्य सरकार व जीन्द जिला प्रशासन को चेताया है कि वे जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करे व भट्ठा मजदूरों की मांगों का समाधान करवाया जाए।।
– *(जयभगवान, महासचिव, सीटू हरियाणा राज्य कमेटी)*

# पंजाब

## संशोधित वेतन दरों व श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए हड़ताल, धरना-प्रदर्शन

(सीटू) के आह्वान् पर लाल झंडा पंजाब भट्ठा मजदूर यूनियन के हजारों भट्ठा मजदूरों ने अधनंगे बदन तपती दोपहर में संशोधित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन दरों व श्रम कानूनों को लागू किये जाने की माँग करते हुए जुझारू प्रदर्शन किया और धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू के पंजाब महासचिव रधुनाथ सिंह, लाल झंडा पंजाब भट्ठा मजदूर यूनियन (सीटू) के महासचिव, तरसेम जोधा, जतिन्दर पाल सिंह, अमरनाथ कूम कलां, दलजीत कार गोरा, पंजाब सीटू के पदाधिकारियों तथा सीटू की जनरल कौंसिल के सदस्य हनुमान प्रसाद दुबे ने किया। हड़ताली भट्ठा मजदूरों ने लुधियाना में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। जिसे उपरोक्त नेताओं के साथ–साथ स्थानीय सीटू नेता प्रकाश सिंह हिस्सोवाल, विनोद तिवारी तथा रामवृक्ष ने संबोधित किया। लुधियाना के उपायुक्त ने यूनियन व सीटू प्रतिनिधियों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि अलग–अलग सब–डिवीजन के एस डी एम न्यूनतम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम व अन्य श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त के आश्वासन के उपरान्त यूनियन ने अगले दिन संबंधित एस डी एम कार्यालयों के बाहर जमा होने का फैसला किया।

सीटू राज्य कमेटी ने हड़ताली मजदूरों को बधाई देते हुए उनसे आंदोलन तब तक जारी रखने का आह्वान किया जब तक कि संशोधित न्यूनतम् वेतन के अनुरूप उनके वेज रेट लागू नहीं कर दिये जाते।

# राजस्थान

## ईंट भट्ठा यूनियन के 'मजदूर भवन' का उद्घाटन

जिले के सबसे बड़े मजदूर संगठन, ईन्ट भट्ठा लेबर यूनियन (सीटू) के कार्यालय ''मजदूर भवन'' का उद्घाटन सीटू की अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. के. हेमलता द्वारा 23 अप्रैल, 2017 को सुबह 11 बजे किया गया। मजदूर भवन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सीटू के राज्याध्यक्ष रविन्द्र शुक्ला ने की। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीटू के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ज्ञानशंकर मजुमदार थे। मजदूर भवन का शिलान्यास 01 मई, 2011 को हुआ था। जिसकी नींव यूनियन व सीटू के राज्य महामंत्री वी.एस. राणा द्वारा रखी गई थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष मोहनलाल ने की थी।

छः साल के लम्बे अरसे व वित्तीय कठिनाईयों के उतार–चढ़ाव के बाद इस भवन का निर्माण संभव हो पाया। वर्ष 2014–15, 2015–16 में इस उद्योग में भारी मंदी के कारण लगभग 40 प्रतिशत भट्ठे बंद होने से हालात काफी परेशानी के रहे जो आज भी जारी हैं। लेकिन मजदूरों व यूनियन कार्यकर्ताओं के दृढ़ संकल्प से भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होना संभव हुआ। 23 अप्रैल को डॉ. के. हेमलता और ज्ञानशंकर मजूमदार श्रीगंगानगर पहुँचे, सीटू के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया व दोनों नेताओं को जलूस के रूप में पंचायती धर्मशाला लाया गया। मजंदूर भवन के उद्घाटन समारोह की शुरूआत भवन प्रांगण में के. हेमलता द्वारा झण्डारोहण के साथ हुई। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई व उद्घाटन् पट्टिका का पर्दा हटाया गया। उसके बाद हुई विशाल सभा में उपस्थित मजदूरों से यूनियन व सीटू के प्रदेश महामंत्री बी.एस. राणा ने नेताओं का परिचय कराया। के. हेमलता का परिचय करवाते हुए उन्होने कहा कि देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में किसी सैंट्रल ट्रेड यूनियन की महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव के. हेमलता और भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र सीटू को प्राप्त हुआ है।

सीटू के जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ एडवोकेट भूरामल स्वामी ने केन्द्रीय व राज्य नेताओं का गंगानगर पहुँचने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानशंकर मजुमदार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। सभा को सम्बोधित करते हुए के. हेमलता ने उपस्थित मजदूरों का आह्वान किया कि ईंट भट्ठा लेबर यूनियन सीटू के जिस विशाल कार्यालय ''मजदूर भवन'' का उद्घाटन किया गया है वह सबसे पहले भट्ठा मजदूरों के सभी बुनियादी अधिकारों को हासिल करने का केन्द्र बनेगा तथा उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने, मजदूरों की राजनीतिक चेतना के विकास का केन्द्र बनेगा और जिले के मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा देगा। उन्होने कहा कि भट्ठों पर पुरूषों के समान ही महिलाएं काम करती हैं। उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ता है वे जहां भट्ठों से संबंधित मजदूरी का काम करती हैं अपने बच्चों की सार संभाल के साथ–साथ अपने पशुओं तथा परिवार के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं पर रहती है। हेमलता ने कहा कि राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में लगभग तीन लाख महिलाएं काम करती हैं। राज्य की मुखिया महिला होने के बावजूद इन महिलाओं का भारी शोषण हो रहा है। वेतन के नाम पर मिड–डे मील वर्करों को 1200 रूपये, आशाओं को 2500 रूपये, आंगनबाडी वर्कर्स को 4300 रूपये और सहायिकाओं और सेविका को 2500/– रूपये महीना ही दिया जा रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है तथा न्यूनतम वेतन से काफी कम है व पड़ौसी राज्यों से भी कम है। हेमलता ने कहा कि आजादी से पूर्व अंग्रेजों के राज में अनेक कुर्बानियों और संघर्षो से हासिल श्रम कानूनों में घोर मजदूर विरोधी संशोधनों की शुरूआत भी राजस्थान से हुई है। इसके लिए हमें राज्य के हर जिले में इसी

प्रकार के जिला केन्द्रों का निर्माण कर राज्य के श्रमिकों में व्यापक एकता पैदा कर मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाली सरकारों को मुँहतोड़ जवाब देने के संघर्षो के केन्द्र बनाने होंगे।

सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समारोह के मुख्य अतिथि ज्ञानशंकर मजुमदार ने मजदूरों को सावधान किया कि आर.एस.एस. नियंत्रित मोदी की केन्द्र सरकार व राज्यों की भाजपा सरकारें मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तरह–तरह के हथकण्डे अपना रही है। देश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है विदेशी कम्पनियों और कार्पोरेट घरानों को किसानों व आदिवासियों की बेशकीमती जमीन कोडियों के भाव दी जा रही है। बैंकों से भारी रकम लोन के रूप में देकर पूंजीपतियों को लुटाई जा रही है जो आखिर में बट्टे खाते में डाली जाएगी। 'मजदूर भवन' इन जन विरोधी नीतियों के विरूद्ध संघर्षों को आगे बढाने का केन्द्र बनेगा। सभा को सीटू के पूर्व अध्यक्ष हेतराम बेनीवाल, राज्य सचिव भंवर सिंह शेखावत, रोडवेज युनियन सीटू के राज्य महामंत्री किशन सिंह राठोड़ भवन निर्माण के राज्य महामंत्री हरिन्द्र सिंह राज्य कोषाध्यक्ष बाबूलाल लुगरिया, एफसीआई लेबर एण्ड पल्लेदार युनियन के राज्य संयोजक आत्मा सिंह, सीटू राज्य बृज सुंदर जांगिड़, बीकानेर निर्माण श्रमिको के नेता मूलचन्द खत्री, वन श्रमिकों के राज्य महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, सीमेंट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के नेता कालूराम सुथार, रावतभाटा कोटा परमाणु बिजली घर में ठेकेदार श्रमिकों के नेता जय सिंह, बिजली कर्मचारी नेता किशोर सिंह, जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों संघों के नेता शेर सिंह राठौड़, कोटा–बूंदी संभाग में बीडी मजदूरों के नेता रजिया खान, आशा वर्करों की नेता रेखा चौहान, खेत मजदूरों के राज्य उपाध्यक्ष पालाराम, महिला समिति की केन्द्रीय कमेटी की नेता दुर्गा स्वामी, सीटू जिला कमेटी व यूनियन के कोषाध्यक्ष हरकेवलदीप सिंह, डी.वाई.एफ.आई. के नेता तुलसी शाक्य, हनुमानढ़ सीटू जिला कमेटी के अध्यक्ष मलकीत सिंह, महामंत्री बलदेव सिंह, सचिव शेरसिंह शाक्य, एटक के नेता बूटा सिंह ने भी सभा को सम्बोधित किया।

भट्ठा मजदूर यूनियन सूरतगढ़ के अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, जैतसर के अध्यक्ष व सचिव हरीकिशन व मदन गिरि, श्री विजयनगर के अध्यक्ष व सचिव व प्रचार मंत्री काचवाराम, रघुनाथ राम, जेठाराम, सादुलशहर के सोहनलाल, एफ.सी.आई. पल्लेदार यूनियन के महामंत्री महेश खण्डा, लालगढ़ के आत्माराम वर्मा व शहाबुदीन, राज्य कमेटी सदस्य व लोडिंग अनलोडिंग के महामंत्री प्रकाश राव, धानमण्डी पल्लेदार यूनियन के घनश्याम खुडिया, ट्राली यूनियन के अध्यक्ष साधु सिंह, विकास डब्ल्यू.एस.पी. के अध्यक्ष करणी सिंह, अनूपगढ़ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह, भवन निर्माण के लखविन्द्र सिंह आदि ने सभा को सम्बोधित किया।

समारोह के अध्यक्ष रविन्द्र शुक्ला ने अपने समापन भाषण में कहा कि राज्य में श्रम कानूनों में बदलाव के बाद उसका असर जयपुर और राज्य के विभिन्न जिलों के कारखानों में कार्यरत मजदूरों पर पड़ रहा है। कारखाना मालिक मनमाने ढ़ंग से कारखानों को बंद कर रहे हैं। मालिकों की इस तानाशाही के विरूद्ध मजदूरों का संघर्ष जारी है। ईन्ट भट्ठा लेबर यूनियन श्रीगंगानगर का यह **''मजदूर भवन''** मजदूरों की राजनैतिक चेतना का विकास करने का केन्द्र बनेगा, और मजदूर यूनियन राज्य के मजदूर आंदोलन का केन्द्र बनने वाले भवन को बनाने में भी सहयोग देगें। मजदूरों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया।

इस समारोह में लगभग छ हजार मजदूर उपस्थित हुए। यूनियन अध्यक्ष मोहन लाल ने इंकलाब जिन्दाबाद! मजदूर एकता जिन्दाबाद के नारों के साथ समारोह में आने वाले साथियों को धन्यवाद दिया। *–(वी. एस. राणा)*

# बिहार

## ट्रेड़ यूनियनों का संयुक्त सम्मेलन

'मजदूर वर्ग की वर्तमान स्थिति और हमारे कार्यभार' पर एक संयुक्त ट्रेड़ यूनियन सम्मेलन 30 अप्रैल को गया के स्थानीय मिनिस्ट्रियल क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें 13 ट्रेड यूनियनों के 93 प्रमुख नेतृत्वकारी पदाधिकारी और बिजली, राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्वास्थ्य, मैडीकल एण्ड सेल्स, आशा, आंगनवाड़ी आदि के मजदूरों व कर्मचारियों, तथा पेंशनभोगी, ठेका श्रमिकों और वकीलों ने सम्मेलन में भाग लिया। श्यामलाल, पी.एन. सिंह, अर्जुन प्रसाद, जियालाल, जयवर्धन कुमार और एस अहमद आदि नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे बीएसएसआर यूनियन के अबिर अधिकारी ने पेश किया और इस प्रस्ताव को श्यामलाल और पी.एन. ने अनुमोदित किया। प्रस्ताव में नवउदारवादी आर्थिक नीति के तहत मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे आक्रामक कदमों की निंदा की गयी है, जिसके चलते बेरोजगारी और गरीबी में भारी वृद्धि हो रही है, विनिवेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने के कारण देश की आत्मनिर्भरता को गम्भीर खतरा पैदा किया जा रहा है, और भाजपा सरकार के प्रायोजित एवं समर्थित समूहों द्वारा सामाजिक भाईचारे को अस्थिर करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है। प्रस्ताव में सरकार द्वारा नियोक्ताओं के पक्ष में एवं मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में संशोधन की सख्त निंदा की गयी है।

सम्मेलन ने सरकार के इन मजदूर–विरोधी एवं जन–विरोधी घातक हमलों के खिलाफ और सामाजिक भाईचारे के लिए अधिकाधिक संख्या में मजदूरों को लामबन्द करते हुए आंदोलन की लहर पैदा करने की जिम्मेदारी को लिया है।

# आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विशाल संयुक्त प्रदर्शन

सीटू के बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका–सहायिका संघ और एटक के आंगनवाडी सेविका–सहायिका कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से पटना में बिहार के मुख्यमंत्री के सामने एक दिन का राज्य स्तर का प्रदर्शन किया और गार्डनबाग धरना स्थान पर सोनगी कुमारी और चंद्रवती देवी की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा आयोजित की, जिसे एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मंजुल कुमार दास, राजकिशोर रॉय, आंगनवाडी सीटू यूनियन की महासचिव शोभा कुमारी, प्रमुख संरक्षक यूसुफ, एटक आंगनवाड़ी संघ के महासचिव कुमार बिंदेश्वर और राश्ट्रीय अध्यक्ष उषा साहनी तथा दोनों संघों के जिला नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा अभाव और शोषण के बारे में बताया, बहुत ही कम मजदूरी, भ्रष्टाचार और कमीषन प्रणाली द्वारा मां और बच्चे को पौष्टिक भोजन से वंचित करने तथा कॉर्पोरेट नियंत्रित गैर–सरकारी संगठनों के हाथों निजीकरण, और राज्य सरकार इत्यादि द्वारा कार्यभार बढ़ाने के बारे में बताया। एक प्रतिनिधि मण्डल ने उप–सचिव से मुलाकात करके एक 18 सूत्रीय माँग पत्र सौंपा जिसमें न्यूनतम् वेतन रु० 18,000, समान काम के लिए समान वेतन, वेतन भुगतान का नियमितकरण और आई.सी.डी.एस. में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति आदि प्रमुख रुप से शामिल हैं। यह प्रदर्शन एटक यूनियन द्वारा 40 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने और 8 अप्रैल को ब्लॉक में सीटू यूनियन द्वारा प्रदर्शन और जिलों में 20 अप्रैल को और जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत करने की परिणति थी।

# ओडिशा

## नाल्को के विनेवश के विरोध में आंदोलन

सीटू की भुवनेश्वर लोकल कमेटी ने मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नाल्कों के 10 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को भुवनेश्वर में नाल्को के कारपोरेट ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विनिवेश के माध्यम से 1204 करोड़ रूपये अर्जित करने का सरकार का यह कदम नाल्को के मजदूरों व कर्मचारियों, नाल्को खदानों व फैक्टरियों के साथ परोक्ष व अपरोक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों व राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। सीटू के नेताओं, शिवाजी पटनायक, पूर्व सांसद, जनार्दन पति, नाबाकिशोर मोहन्ती, दुश्मंत दास, सत्यानंद बेहरा, रमेश जेना, सुरेश राउत्रे तथा एडवा की राज्य अध्यक्ष पुष्पा दास व अन्य ने गेट मीटिंग को संबोधित किया। अंगुल में नाल्को स्मैल्टर व सी पी पी काम्प्लेक्स के मजदूरों व कर्मचारियों ने नाल्को यूनियंस कॉर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले काले बिल्ले लगाकर 19 अप्रैल को ई डी ऑफिस पर धरना दिया। इसी तरह दामनतोड़ी एम आर काम्प्लेक्स के मजदूर भी संधर्ष के रास्ते पर हैं। सीटू राज्य कमेटी संयुक्त आंदोलन की योजना बना रही है।

# दिल्ली, एन सी आर

## कोर्ट आदेश के बावजूद नौकरी बहाल न करने के विरोध में

## सी.बी.एस.ई. ठेका कर्मचारियों की भूख हड़ताल

10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का आयोजन करती आई सीबीएसई का काम व जिम्मेदारी साल दर साल बढ़ती गई है। सीबीएसई आज ए. आई.पी.एम.टी., आई.ई.ई.ई., सी.टी.ई.टी., जे.ई.ई., नवोदय विधालय इत्यादि परीक्षाओं का आयोजन कर रही है जिसमें लाखों की संख्या

में परीक्षार्थी बैठते हैं। सीबीएसई देश–विदेश में भी परीक्षा करवाती है। इस कारण से सीबीएसई का कार्यभार भी कई गुणा बढ़ चुका है। परीक्षाओं के आयोजन सम्बंधी कार्य नियमित प्रकृति का है। सीबीएसई बढ़ते कार्यभार को स्थायी कर्मचारियों की भर्ती न कर अधिकांश काम ठेके एवं दैनिक वेतन भोगियों की भर्ती कर करवा रही है। इसमें अधिकांश कर्मचारी कम्प्यूटर असिंस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चर्तुथ श्रेणी के अलग–अलग कार्यों में संलग्न हैं।

वर्ष 2007, 2008 व उसके बाद 2010, 2011 में कर्मचारियों को सीबीएसई ने सीधे अनुबंध पर रखा। जिनकी संख्या 300 से अधिक है। सीबीएसई अगस्त 2014 में न्यू ग्रो सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड ठेका एजेंसी को लाई और सभी डायरेक्ट भर्ती किए गए अनुबंधित कर्मचारियों को उसके मस्टर रोल पर दिखाया जाने लगा। ठेका एजेंसी कार्यरत कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं देती थी। वेतन से पीएफ का काटा गया रूपया पीएफ विभाग में जमा नहीं किया जाता था। जिसके खिलाफ कर्मचारी, ऑफिस एंड इस्टेबलिसमेंट इम्प्लाइज यूनियन (सीटू) के तले संगठित हुए व श्रम विभाग व प्रोविंड फंड विभाग में शिकायत लगाई। इसके बाद प्रबंधन ने बगैर कारण बताए जून 2015 में 46 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। प्रबंधन के मनमाने व अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने केंन्द्र सरकार के इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी ने अंतरिम राहत के रूप में दिनांक 20.12.2016 को सभी कर्मचारियों की नौकरी बहाली के आदेश दिए। आदेश के बाबजूद सीबीएसई प्रबंधन हठधर्मिता दिखाते हुए कोर्ट के फैसले को अनदेखा कर कर्मचारियों की नौकरी बहाल नहीं किया। जिसके खिलाफ राउज एवेन्यू स्थित सीबीएसई कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने भूख–हड़ताल शुरू की।

भूख हड़ताल के 10वें दिन 3 मई 2017 को सी.बी.एस.ई. प्रबंधन ने आन्दोलनकारी कर्मचारियों को तीसरी बार वार्ता के लिए बुलाया और प्रस्ताव किया कि सभी 53 कर्मचारियों की नौकरी बहाली से पूर्व वरीयता सूचि बनाई जाएगी; नयी ठेका एजेन्सी के अंर्तगत सभी को नौकरी दी जाएगी; स्थायी भर्ती के समय इन कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी; और प्रबंधन 20.12.2016 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं देगा। उपरोक्त आश्वासनों के बाद धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया गया। *(एच.सी. पंत, महामंत्री, ऑफिस एंड इस्टेब्लिसमेंट इम्प्लाईज यूनियन)*

# गुड़गांव

## समान काम, समान वेतन के लिए ठेका मजदूरों का आंदोलन

एम.ई.एस.एल. बेगमपुर खटौला के लगभग 500 ठेका मजदूर 24 अप्रैल से प्रबंधन की हठधर्मिता व अढ़ियल रवैये के चलते फैक्टरी से बाहर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुये हैं। न तो उन्हें पिछले माह का वेतन ही दिया गया है और न ही उनका ओवरटाइम दिया गया है। कर्मचारियों कि मांग है कि काम से निकाले गए सभी मजदूरों को वापिस लिया जाए, ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए,सर्वोच्च न्यायालय के समान काम समान वेतन के फैसले तो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए,मजदूरों के मांग पत्र पर तुरंत बातचीत की जाए, यूनियन का रजिस्ट्रेशन बहाल करवाया जाए तथा श्रम कानूनों की पालना कड़ाई से की जाए।

इस फैक्टरी में काम करने वाले ठेका मजदूरों ने एम.ई.एस.एल. ठेका श्रमिक संगठन के नाम से अपनी यूनियन पंजीकृत कारवाई थी। प्रबंधन ने श्रम विभाग के साथ साँठ–गांठ कर यूनियन का पंजीकरण रद्द करवा कर मजदूरों को बाहर कर दिया।

ऐसी परिस्थिति में संघर्षरत मजदूरों ने 20 मई से धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष सतवीर सिंह ने मजदूरों का हौसला बढ़ाया व उनके संघर्ष का समर्थन किया। सीटू के जिला सचिव राजेन्द्र सरोहा व ईश्वर सिंह` कहा कि मजदूरों कि मांगों पर प्रबंधन यदि सहानुभूति पूर्वक विचार कर समझौते पर नहीं आता है तो आन्दोलन तेज होगा। *(राजेन्द्र सरोहा, सचिव, सीआईटीयू, गुड़गाँव)*

# समाजिक मुद्दे

## साम्प्रदायिकता के खिलाफ

## राजस्थान में 'गौ-रक्षकों' द्वारा दुग्ध उत्पादक किसान की हत्या

8 अप्रैल को, एक सीपीआई (एम) प्रतिनिधिमंडल ने पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली के साथ, सीटू त्रिपुरा राज्य के महासचिव एवं सांसद शंकर प्रसाद दत्ता, पश्चिम बंगाल से सांसद बद्रुद्दजा खान, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और सीपीआई (एम) राजस्थान के राज्य सचिव अमरा राम तथा राज्य के सुमित्रा चोपड़ा, रईसा और गुरु चरण सिंह मोर आदि अन्य सदस्यों ने राजस्थान के अलवर जिले में बैहेरोड़ का दौरा किया जहां 1 अप्रैल को तथाकथित गौ रक्षकों ने हरियाणा के डेयरी किसानों पर हमला किया और उनमें से एक पहलू खान की क्रूरता से हत्या कर दी थी।

प्रतिनिधिमंडल स्थानीय पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से मिला। डीएसपी और जांच अधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि पहले उसी दिन, दिल्ली–जयपुर राजमार्ग से पशुओं को लेकर चार वैनों में जा रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाया गया। वे अभी भी हिरासत में हैं। डीएसपी ने आरोप लगाया कि उनके पास मवेशी के कोई खरीद दस्तावेज नहीं हैं। यह एक झूठा वक्तव्य था क्योंकि मवेशियों की खरीद की रसीद की प्रतियां प्रिंट मीडिया में पुनः प्रकाशित की गई थीं।

बाद में, मवेशियों के साथ दो और वैनों को उसी जगह पर भीड़ द्वारा रोका गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने वास्तव में भीड़ का पीछा किया और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। जबकि अन्य लोगों को अगले दिन अस्पताल से रिहा कर दिया गया था, पहलु खान का 3 अप्रैल को निधन हो गया। पहलु खान की मृत्यु के बाद धारा 302 में 6 नामित और 'अन्य' हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, 6 नामांकित हमलावरों में से कोई भी गिरफ्तार नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल ने अलवर में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वह बहुत गलत था और डेयरी किसानों के पास वास्तव में उनके कब्जे में पशु खरीद की रसीद थी।

जांच के बाद, सीपीआई (एम) के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि प्रशासन जयपुर नगर निगम निगम द्वारा आयोजित जयपुर हाटवाड़ा से संबंधित डेयरी किसानों के पशु खरीद विवरण को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इन रसीदों में निश्चित रूप से खरीदार के नाम और पते होते हैं। चूंकि पुलिस आग्रह कर रही है कि परिवहन की अनुमति के बिना पशुओं को किसी अन्य राज्य में ले जाना अवैध है, इस मामले में जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को समझाया जाए और खरीदारों को परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति जारी करनी होगी।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि (1) सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ हत्या के मामले दायर किए जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए, पहलू खान के परिवार को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास मुहैया कराया जाए, अन्य पीड़ित घायल व्यक्तियों को रिहा किया जाए; मुआवजे का भुगतान किया जाऐ और उनके पशुओं को लौटा दिया जाए और अस्पताल के अधिकारियों के पास जमा उनकी सारी संपत्ति वापस कर की जाए; रास्ते पर ''हिंदू चौकी'' हटा दी जाए; कथित रक्षक समूहों के खिलाफ मजबूत और प्रभावी उपाय किए जाऐं और इनकी हरकतों का समर्थन करने वाले लोगों को सजा दी जाए।

## पीड़ितों की मदद के लिए आगे आयी किसान सभा

अखिल भारतीय, किसान सभा ने, राजस्थान के अलवर जिले में 1 अप्रैल, 2017 को तथा कथित गौरक्षक गिरोह के द्वारा किये गये जानलेवा हमले में मार डाले गये पहलू खान के परिवार को और धायल अजमत व रफीक को, देश भर से जमा किये गये चन्दे में से क्रमशः 10 लाख रूपये, 4 लाख रूपये व 1 लाख रुपये की मदद 24 मई 2017 को प्रदान की।

# किसान सभा ने की साम्प्रदायिक सौहार्द सभा की अगुआई

अखिल भारतीय किसान सभा ने 30 अप्रैल को देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक सौहार्द सभाओं का आयोजन किया जिनमें अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, सीटू, एडवा, एस एफ आई, डी वाई एफ आई व जनसंगठनों ने हिस्सा लिया व साम्प्रदायिक सदभाव के लिए काम करते तथा साम्प्रदायिक शक्तियों की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की साजिश को परास्त करने की शपथ ली। अलग–अलग भागों से पहलू खान के परिवार की मदद करने के लिए राहत कोश भी जमा किया गया।

नूह में हुई सभा

हरियाणा के नूह जिले में पहलू खान के गांव जयसिंहपुर में भी साम्प्रदायिक सौहार्द सभा का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों किसानों व अन्य जनवादी तबकों ने भाग लिया। पहलू खान एक गरीब पशुपालक किसान था जिसकी हिन्दू उग्रपंथियों ने हत्या कर दी थी। ए आइ के एस ने मुआवजे व पहलू खान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने की माँग की है। सरकार ने अभी तक पहलू खान के परिवार को कोई मदद नहीं दी है। ए आई के एस ने इस अभियान के लिए एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है।

# किसान सभा की सम्प्रदायिक सौदार्य सभाओं से जुड़ी सीटू

अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में साम्प्रदायिक सौहार्द सभाओं के कार्यक्रमों के प्रति त्वारित प्रतिक्रिया में सीटू ने कहा है कि गोरक्षा के मुद्दे को एक साम्प्रदायिक मुद्दे के स्थान पर किसानों के एक वर्गीय मुद्दे के रूप में सामने लाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। किसान सभा ने पहलू खान व अन्य पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तथा साम्प्रदायिक उन्मादियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए संघर्ष शुरू किया है। किसान सभा ने फोरी तौर पर मृतक पहलू खान के परिवार को 3 लाख रूपये और तथा कथित 'गौरक्षकों' के हमले में धायल अजमत को 50,000 रूपये का सहयोग दिया है। सीटू ने राज्य कमेटियों से आहवान किया कि वे अपनी यूनियनों को स्थानीय स्तर पर चंदा जमा करने तथा 30 अप्रैल 2017 की साम्प्रदायिक सदभाव सभाओं में बड़ी संख्या में भाग लेकर किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता व समर्थन व्यक्त करें।''

## मलिकों के हितसाधन के कदम का पर्दाफाश, पीछे हटने को मजबूर हुई मोदी सरकार

भारत सरकार के श्रम विभाग ने, ई पी एफ ओ के त्रिपक्षीय न्यासी केन्द्रीय बोर्ड ( सी बी टी ) की बैठक की कार्यसूची में भविष्य निधि में नियोक्ताओं के मौजूदा 12 प्रतिशत योगदान को घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। सरकार चाहती थी कि इस मुद्दे पर 27 मई को होने वाली सी बी टी बैठक में फैसला हो जाये।

सी बी टी बैठक में, सभी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने एजेंडे का पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने भी माना कि इस मुद्दे को लाने का यह समय नहीं है। बैठक में मौजूदा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की भी यही राय थी। अंततः सरकार को इस एजेंडे को छोड़ने और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।

चर्चा में भाग लेते हुए, सीटू प्रतिनिधि ए के पद्मनाभन ने कहा कि यह बहुत ही निदंनीय है कि श्रम विभाग ने 'विभिन्न सैक्टरों की मांगों' के नाम से स्वंय इस एजेंडे का प्रस्ताव किया है। यह स्पष्ट रूप से एक मजदूर विरोधी कदम है जिसका देश के मजदूरों के सभी तबके पूरी ताकत से विरोध करेंगे। यह साफ तौर पर सरकार द्वारा 'व्यापार को आसान बनाने' के लिए नियोक्ताओं व कार्पोरेटो की मदद के लिए मजदरों के खिलाफ कदम है। सीटू सचिवमडंल ने 26 मई को जारी एक बयान में कारपोरेटों के हित साधक इस मजदूर विरोधी कदम के प्रयास के लिए सरकार की भर्त्सना की।

# दलितों के बारे में

# दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में राष्ट्रपति से भेंट

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव के प्रभावित दलित परिवारों के साथ 17 मई को सीपीआई (एम) पोलिट ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात और सुभाषिनी अली ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल को सहानुभूति पुर्वक सुना और कहा कि वह शब्बीरपुर के दलितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकते हैं, जरुर करेगें। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विवरण दिया गया।

14 अप्रैल को, शब्बीरपुर गांव के दलित गांव के रविदास मंदिर में डॉ० अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। कुछ ऊच्च जाति के लोगों ने विरोध किया और भाजपा विधायक ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस आ गई और स्थापना का काम रोक दिया। कोई विरोध नहीं था।

हालाँकि, 5 मई को, क्षेत्र के ऊच्च के जाति ठाकुर, राणा प्रताप जयंती मनाने के तौर पर पड़ोसी गांव सिमला में एक मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। वो दलित क्षेत्र से जोर–जोर से संगीत के साथ एक जुलूस निकाल रहे थे। वे तलवार, देसी आग्नेयास्त्रों से लैस थे और अपनी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने के प्रयास में आपत्तिजनक नारे चिल्ला रहे थे। दलित गांव प्रधान ने पुलिस से शिकायत की। कुछ पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन कुछ नहीं किया। इसके बाद दलित इलाके में ऊच्च जातिवादियों ने हिंसा की। विभिन्न कृषि उपकरणों के साथ 58 घरों को जलाया; 25/26 मोटरसाइकिल, छोटे वैन; किराने का सामान और बच्चों की किताबें और राशन कार्ड सहित विभिन्न संपत्तियों सहित 4 दुकानों को जला दिया। 2 फायर इंजन और एक पीएसी ट्रक को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। 5 महिलाओं सहित 14 लोगों और 14 वर्ष की आयु के एक लड़के को बुरी तरह से घायल कर दिया उनमें से कुछ गंभीर हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं।

दुर्भाग्य से, ऊंची जाति के एक युवक, जो घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर का रहने वाला था, की इस घटना के दौरान मृत्यु हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि वह श्वासनली में अवरोध के कारण मर गया। उसके परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। अफसोस की बात है कि दलितों को जिला प्रशासन से कोई मुआवजा या आश्वासन नहीं मिला। क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली सामाजिक समूह द्वारा उन पर हमला भी ठीक से संभाला नहीं गया है। दलितों को कई झूठे मामले में फंसा दिया गया है।

इससे सहारनपुर में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। यूपी में भाजपा सरकार के गठन ने उसके समर्थकों के निगरानी समूहों को प्रोत्साहित किया है, जिसमें तेजी से विस्तार करने वाली हिंदू युवा वाहिनी भी शामिल है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वयं का संगठन हैं, जो कि राज्य में कानून के दण्ड से भयमुक्त होकर जनता के विभिन्न वर्गों पर हमला करता है। इन हमलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया है। एक ऐसा हमला सहारनपुर में 20 अप्रैल को देखा गया था, जब खुद भाजपा सांसद की अगुआई में एक भीड़ ने एसएसपी के निवास पर हमला किया और इस अधिकारी को बाद में स्थानांतरित किया गया।

यदि सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में उसके समर्थकों द्वारा कानून के दण्ड से भयमुक्ति के साथ जनता के विभिन्न वर्गों पर आक्रमण की स्थिति जारी रहती है, तो यूपी के कई हिस्सों में जाति और सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

# महिलाओं के विरुद्ध अपराध

# 'निर्भया' मामले में उच्चतम् न्यायालय का आदेश

*(आदेश का निचोड़)*

*उच्चतम् न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ, द्धारा जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और आर भानुमती शामिल हैं, 5 मई, 2017 को उनके समन्वित निर्णय में ,निर्भया के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में 13 सितंबर, 2013 को सुनवाई अदालत में चार अभियुक्तों दिए गए दंड और 12 मार्च 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्धारा इसकी पुष्टि को उचित ठहराया गया है।*

न्यायिक आदेश में, न्यायमूर्ति आर. भानुमती ने कहा, ''मैं अपने सम्मानित साथी न्यायाधीश दीपक मिश्रा के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं उनके द्वारा अपनाऐ गऐ तर्क और उनके निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि, इसमें शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, बलात्कार के मामलों में प्रमाणों की सराहना और महिलाओं के खिलाफ अपराध को संबोधित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका के तय मानदंडों के प्रकाश में, मैं सहमति के लिए अतिरिक्त तर्क देने की इच्छुक हूँ।''

''**3. महिलाओं के खिलाफ अपराध – चिंता का एक क्षेत्रः** पिछले कुछ दशकों में, कानूनी प्रगति और नीति सुधार ने महिलाओं के ख्सिलाफ हिंसा के सभी स्रोतों से महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और महिलाओं के संरक्षण के मुद्दे पर और लैंगिक न्याय के संबंध में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए भी काम किया है। फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत में वर्ष 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,27,394 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2011 से 43% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है, जब 2,28,650 मामलों की सूचना दी गई थी। पिछले एक दशक (2005 – 2015) में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 110.5% की बढ़त देखी गयी है, जिसका अर्थ है कि एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने से अधिक हो गया है। कुल मिलाकर 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' शीर्षक के तहत एक समग्र अपराध दर, को 2015 में 53.9% के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें दिल्ली (केन्द्र शासित) शीर्ष स्थान पर था।''

''नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े जो मैंने अपने फैसले की शुरुआत में इंगित किये हैं की शिक्षा में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में एवं महिलाओं के अधिकारों के विचारों में बदलाव के बावजूद महिलाओं के लिए सम्मान में गिरावट और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध अकेले महिलाओं के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि मानव अधिकारों के मुद्दे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर का बढ़ना कानून बनाने वालों के लिए चिंता का विषय है और इस समस्या की जड़ में गहराई से अध्ययन करने और एक सख्त कानून व्यवस्था शासन के माध्यम से इसका समाधान करने की एक आकस्मिक आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों को दंडित करने के लिए कई कानून और कई दंड प्रावधान हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि लैंगिक न्याय केवल कागज पर ही न बने रहें।''

''राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुकाबला करने के लिए, समस्या की जड़ का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए और उसी तरह कड़े कानून और अन्य कदमों के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं से संबंधित मुद्दों, विषेश रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना अनिवार्य है।''

''महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए अकेले कठोर कानून और दंड पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। परम्परा में बंधे हमारे समाज में, महिलाओं के सम्मान और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। टीवी, मीडिया और प्रेस के माध्यम से लैंगिक न्याय के मामले में जनता को संवेदनशील बनाने का स्वागत किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रुप से कुछ सुझाव विचार करने योग्य हैं। सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सियों और बसों आदि में बैनर्स और प्लेकार्डस् को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सड़क पर रोशनी एवं रोशन बस स्टॉप और अजब समय के दौरान अतिरिक्त पुलिस गश्त का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पुलिस/सुरक्षा गार्ड को अंधेरे और अकेले स्थानों जैसे कि पार्क, सड़कों आदि पर तैनात किया जाना चाहिए। महिलाओं की तत्काल सहायता के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को लागू करना और प्रभावी ढंग से बनाए रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए। महिलाओं की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के अलावा, समाज की मानसिकता का बड़े पैमाने पर परिवर्तन और जनता में लिंग न्याय पर जागरूकता पैदा करना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने का एक लंबा रास्ता होगा।''

''भावी पीढ़ी के लिए अच्छे मूल्यों और मार्गदर्शन को स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद, के शब्दों में, ''किसी देश की प्रगति मापने के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर उसका महिलाओं के प्रति रवैया है।'' महिलाओं के खिलाफ अपराध न केवल महिलाओं के आत्म सम्मान एवं गरिमा को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक विकास की गति को भी अवरुद्ध करता है। मुझे उम्मीद है कि राजधानी में इस युवती की मौत की यह भयंकर घटना एक जन आंदोलन के लिए ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने'' और ''महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने'' और जनता के लिए लैंगिक न्याय पर लोगों की संवेदनशीलता के लिए आंख खोलने वाली साबित होगी। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी लिंग के बावजूद लैंगिक न्याय के संघर्ष में अपनी जिम्मेदारी संभाले और लैंगिक न्याय पर जनमत को जागृत करने के लिए तैयार होना चाहिए। बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से पुरुषों में, लैंगिक न्याय पर संवेदीकरण किया जाना है। लैंगिक न्याय के लिए लड़ाई केवल विधायी प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन, जनता के संवेदीकरण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए सभी स्तरों पर अन्य सभी प्रकार के सक्रिय कदम उठाने और व्यापक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और मौजूदा मानसिकता में व्यापक परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ ही जीती जा सकती है। हमें उम्मीद है कि यह घटना उसी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।''

# अंतर्राष्ट्रीय

## हवाना में मई दिवस की रैली और वुफ्टु अध्यक्षीय परिषद की बैठक

*के हेमलता, अध्यक्ष सीटू*

अधिकतर पूंजीवादी देशों में मई दिवस शिकागों के हे मार्केट के शहीदों और आठ धंटे के काम के लिए उनके संधर्ष को याद करने का अवसर होता है। यह दिन समूचे विश्व के मजदूरों के साथ एकजुटता प्रकट करने का दिन है जो हे मार्केट की धटना के 130 वर्ष बाद अपना संधर्ष जारी रखे हुए है। यह दिन, मजदूर वर्ग के लिए शासक वर्गों की लूट व अत्याचारों को परास्त कर सभी तरह के शोषण से मुक्ति के आखिरी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संधर्ष के रास्ते पर चलते जाने की प्रतिवद्धता को दोहराने का दिन है।

समाजवादी क्यूबा में मई दिवस, 1959 में स्थापित समाजवादी समाज में मजदूर वर्ग व मेहनतकश लोगों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर है। मई दिवस को छुट्टी धोषित कर पूरे देश में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है।

क्यूबा की वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंट्रल (सी टी सी) हर वर्ष हवाना में मई दिवस की रैली का आयोजन करती है जिसमें सारी दुनिया से ट्रेड यूनियन नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के प्रतिनिधि हर वर्ष वहाँ मई दिवस समारोहों में शामिल होते है।

इस वर्ष का मई दिवस, क्यूबा की क्रांति को विजयी बनाने वाले और उसके बाद 2008 तक देश का नेतृत्व करने वाले क्यूबा के महान नेता फिदेल कास्त्रों के निधन के बाद का पहला मई दिवस था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (वुफ्टू) ने, वुफ्टू को पुनर्जीवित करने व पुनः सक्रिय करने में भारी रूचि लेने वाले फिदेल कास्त्रों की याद में अपनी 17वीं कॉंग्रेस के बाद हुई पहली अध्यक्षीय कौंसिल की बैठक को हवाना में आयोजित करने का फैसला लिया। यह बैठक, मई दिवस के तुरन्त बाद 3–4 मई, 2017 को होनी निर्धारित थी। सीटू की अध्यक्ष हेमलता व सीटू सचिव स्वदेश देव रॉय जो दोनों ही वुफ्टू की अध्यक्षीय परिषद के सदस्य है को सीटू ने वुफ्टू की बैठक व हवाना में मई दिवस की रैली में भाग लेने के लिए मनोनीत किया था।

## हवाना में मई दिवस की रैली

हवाना की विशाल रैली में लोगों के भीतर उत्सवी उमंग की झलक थी। क्यूबाई मजदूरों के ट्रेड यूनियन सेंट्रल (सी टी सी) ने बताया था कि हवाना की रैली में कोई 3 लाख लोग शामिल थे और कुल मिलाकर समुचे देश के शहर व नगरों में हुई रैलियों में 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। यह सब एक ऐसे देश में या जिसकी कुल आबादी ही केवल 1 करोड 10 लाख 39 हजार है।

सी टी सी के विदेशी मेहमानों को सुबह 5 बजे क्रांति चौक ले जाया गया था। वहाँ लोग पहले से जमा हो रहे थे। सुबह 6 बजे तक हजारों की संख्या में लोग मुख्य बैनर के पीछे धीरज से खड़े थे। इनमें सभी सैक्टरों के मजदूर, किसान तथा अपने समुचे परिवारों के साथ आयीं महिलायें व पुरूष थे। इनमें सभी सैक्टरों के मजदूर, किसान तथा अपने समूचे परिवारों के साथ आयीं महिलायें व पुरूष थे। छोटे बच्चों, युवा, पुरूष व महिलायें, बुजुर्गों सभी ने 7:30 बजे शुरू हुई रैली में मार्च किया; बहुत से अभिभावकों ने अपने छोटे बच्चों को कंधों पर उठा रखा था; अलग रूप में सशक्त लोगों ने अपनी पहिया कुर्सियों में बैठ कर रैली में मार्च किया। लगभग उन सभी ने बैनर, झंडे, झंडिया, फिदेल, की तस्वीर हाथों में उठायी हुई थीं। किसान, क्यूबा की मुख्य फसल गन्ना लेकर चल रहे थे। हर कोई दर्शकों का हाथ उठाकर अभिवादन कर रहा था और क्यूबा की क्रांति व समाजवाद के समर्थन में, उसकी प्रशंसा में नारे बुलन्द कर रहा थ। हजारों विदेशी दर्शकों ने जोस मार्ती मेमोरियल म्यूजियम के पास उनके लिए नियत स्थान से रैली को देखा। उनमें से कई यूरोप और यू एस ए के थे; उनमें अधिकतर लातिनी अमेरिका से थे। पिछले दो वर्षों में क्यूबा के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए हवाना की रैली में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों में दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिमंडल अमेरिकियों का ही रहा है।

सी टी सी के नेतृत्व और क्यूबा के राष्ट्रपति राऊल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी ने रैली की शुरूआत से लेकर रैली में शामिल चौक से गुजरने वाले आखिरी व्यक्ति तक खड़े होकर हाथ हिलाते हुए अभिवादनों का आदान–प्रदान किया। तथापि, कोई भाषण नहीं हुए। सी टी सी के महासचिव उलीसिंस गिलार्ते नेसिमेंटो ने रैली के शुरू होते समय एक संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने एक समाजवादी, स्वतंत्र व संपन्न क्यूबा के प्रति देश के मजदूर वर्ग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका द्वारा द्विपक्षीय संबंध बहाल किये जाने के बारे में शोर शराबे के बावजूद आर्थिक, वित्तीय व वाणिज्यिक प्रतिबंधों को न हटाये जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने नाकेबंदी के चलते क्यूबा को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजे और यू एस ए द्वारा कब्जाये गये ग्वांटानामो भू भाग को क्यूबा को वापस लौटाये जाने की भी मांग की।

हर वर्ष की भांति, 2 मई को हवाना के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आधुनिक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता बैठक हुई। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने क्यूबा की जनता के साथ और लातिनी अमेरिका के अलग–अलग देशों में अमेरिकी साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप से लड़ रहे लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए इस बैठक में भाग लिया। ब्राजील,अर्जेंटाईना और वेनेजुएला के प्रतिनिधियों ने अपने देशों के हालातों की चर्चा की। वुफ्टू महासचिव जार्ज मावरिकोस ने बैठक को संबोधित किया। सीटू की ओर से हेमलता ने एकजुटता प्रकट की। सी टी सी ने जार्ज मावरिकोस व वुफ्टू के वरिष्ठ नेता पेरू के वेलेंटिन पेचो को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया।

# वुफ्टू अध्यक्षीय परिषद की बैठक

डरबन में हुए 17वें महाधिवेशन के बाद वुफ्टू अध्यक्षीय परिषद की पहली बैठक 3–4 मई को हवाना में हुई। दुनिया भर से अध्यक्षीय परिषद के 55 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। वुफ्टू के अध्यक्ष एम ज्वानडिले माइकल मकवाईबा ने बैठक की अध्यक्षता की। जार्ज मावरिकोस द्वारा पेश की गयी रिर्पोट पर 40 भागीदारों ने चर्चा में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने 17वें महाधिवेशन के फैसलों को लागू करने के लिए वुफ्टू मुख्यालय द्वारा इस दौरान की गयी पहलकदमियों की सराहना की इसके साथ ही वर्तमान की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए मजदूर वर्ग की चेतना को विकसित किये जाने की जरूरत और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सीटू की ओर से हेमलता ने चर्चा में भाग लिया। वुफ्टू के उपमहासचिव व ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल के प्रभारी स्वदेश देवरॉय ने टी यू इंटरनेशनल्स के काम–काज पर रिर्पोट पेश की।

वुफ्टू अध्यक्षीय परिषद ने नवम्बर में रोम में युवा मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पनामा में अंतर्राष्ट्रीय महिला मजदूर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। परिषद ने तीन महत्वपूर्ण विषयों–'समाजवाद में मजदूर वर्ग द्वारा हासिल किये गये अधिकार' 'समाज की मुक्ति में मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका तथा 'समाजवाद का पलटा जाना और वर्गीय ताकतों के अंतर्राष्ट्रीय परस्पर संबंधों में आये बदलावों के कारण लोगों पर उसका प्रभाव' पर सेमिनारों के आयोजिन के माध्यम से महान अक्टूबर क्रांति की शताब्दी मनाये जाने का भी फैसला किया। वुफ्टू ने 2018 में ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण व शिक्षण पर जोर देने का भी फैसला किया है।

सी टी सी द्वारा क्यूबाई इंडस्ट्री के पैवेलियन, एक्सपो क्यूबा के दौरे का भी आयोजन किया जिसमें उन विभिन्न उत्पादों को दिखाया गया है जिन्हें देश के लोगों की जस्रतों को पूरा करने के लिए, यू एस ए की अमानवीय नाकेबंदी के चलते सामने आयरी मुश्किलों से पार पाते हुए देश में उत्पादित किया जा रहा है।

## केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया श्रम मंत्रालय की मई दिवस बैठक का बहिष्कार

10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों– इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू, ए आई यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, एक्टू, यू टी यू सी और एल पी एफ ने 1 मई, 2017 को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा बुलाई गयी बैठक का बहिष्कार किया और एक संयुक्त बयान में इसकी वजहों को सामने रखा। मंत्रालय ने 'अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम' में आने का केन्द्रीय ट्रेड युनियनों को निमन्त्रण दिया गया था। तथापि, दिये गये कार्यक्रम के मुताबिक इसमें ई पी एफ ओ/ई एस आई सी द्वारा योजनाओं की शुरूआत की जानी थी।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपने बयान में कहा, कि ''केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें मई दिवस को सारी दुनिया में मजदूर वर्ग के संधर्षों को याद करने तथा मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन मानती है''।

एन डी ए की यह सरकार ''व्यापार को आसान बनाने'' के नाम पर भारत के मजदूर वर्ग के कठिन संधर्षो के बल पर हासिल किये गये अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों में बड़े संशोधन का दिये है या भारी बदलावों को प्रस्तावित किया हुआ है जिनसे 71 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम, पी एफ, ई एस आइ, बोनस एक्ट आदि समेत 14 बुनियादी श्रम कानूनों के दायरे मे बाहर हो जायेंगे जबकि इन कानूनों के दायरे में कुल श्रमशक्ति का महज तीन प्रतिशत ही आता है।

''यह सरकार जो काम के धंटो को 8 से बढ़ाकर 12 करने का कानून बनाने की कोशिश कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के लिए एक बैठक आयोजित कर रही है, जो 8 धंटे के कार्यदिवस के लिए हे मार्केट के नायकों का शहादत दिवस है, यह और कुछ नहीं बल्कि देश के मजदूर वर्ग को धोखा देना है।''

यह बैठक ई एस आइ सी/ई पी एफ ओ की ओर से योजनाओं की इकतरफा धोषणा के लिए भी थी जबकि सरकार ''सामाजिक सुरक्षा संहिता'' के नाम पर इन्हे खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है।

# vk|kfxd Jfedksa ds fy, miHkksDrk eWY; lwpdkad vk/kkj o"kZ 2001=100

## u- 112@6@2006&,ulhihvkbZ

| jkT; | dsUnz | Qjojh 2017 | मार्च 2017 |
|---|---|---|---|
| vk/kz izns'k | xqa.VwJ | 270 | 270 |
| | gSnjkckn | 241 | 240 |
| | fo'kk[kkiÙkue | 275 | 273 |
| | okjaxy | 285 | 283 |
| vle | MqeMqek frulqf[k;k | 251 | 250 |
| | xqokgkVh | 240 | 242 |
| | ycd flYpj | 253 | 255 |
| | efj;kuh tksjgkV | 236 | 236 |
| | jaxkikjk rstiqj | 234 | 235 |
| fcgkj | eqa?kSj&tekyiqj | 295 | 295 |
| p.Mhx< | p.Mhx< | 271 | 273 |
| NÙkhlx< | fHkykbZ | 303 | 304 |
| fnYyh | fnYyh | 249 | 250 |
| Xkksvk | xksvk | 291 | 294 |
| Xkqtjkr | vgenkckn | 256 | 259 |
| | Hkkouxj | 258 | 258 |
| | jktdksV | 264 | 265 |
| | lwjr | 251 | 250 |
| | oMksnjk | 254 | 254 |
| gfj;k.kk | Qjhnkckn | 247 | 251 |
| | ;equk uxj | 267 | 269 |
| fgekpy | fgekpy çns'k | 252 | 253 |
| tEew ,oa d'ehj | Jhuxj | 269 | 266 |
| >kj[k.M | ckdkjks | 292 | 294 |
| | fxfjMhg | 316 | 316 |
| | te'ksniqj | 298 | 299 |
| | >fj;k | 312 | 311 |
| | dksMekk | 305 | 307 |
| | jkaph gfV;k | 285 | 285 |
| dukZVd | csyxke | 282 | 281 |
| | cxyksj | 294 | 295 |
| | gqcyh /kkjokM+ | 285 | 289 |
| | ejdjk | 291 | 289 |
| | eSlwj | 277 | 279 |
| dsjy | ,.kkZdqye@vyobZ | 292 | 293 |
| | eq.MD;ke | 321 | 322 |
| | fDoyksu | 268 | 270 |
| e/; çns'k | Hkksiky | 276 | 277 |
| | fNanokMk | 250 | 251 |
| | bankSj | 275 | 275 |
| | tcyiqj | | |

| jkT; | dsUnz | Qjojh 2017 | मार्च 2017 |
|---|---|---|---|
| egkjk"Vª | eEcbZ | 282 | 283 |
| | ukxiqj | 303 | 304 |
| | ukfld | 286 | 286 |
| | iq.ks | 271 | 273 |
| | 'kksykiqj | 288 | 287 |
| mMhlk | vkxqy&rkypsj | 288 | 289 |
| | jkmjdsyk | 280 | 284 |
| ikfMpsfj | ikfMpsfj | 291 | 292 |
| iatkc | ve`rlj | 275 | 275 |
| | tkyU/kj | 273 | 275 |
| | yqf/k;kuk | 271 | 273 |
| jktLFkku | vtesj | 256 | 254 |
| | HkhyokM+k | 268 | 268 |
| | t;iqj | 264 | 262 |
| rfeyukMq | pUuS | 273 | 270 |
| | dks;EcVwj | 256 | 253 |
| | dqUuwj | 257 | 258 |
| | enqjkbZ | 273 | 275 |
| | lsye | 268 | 269 |
| | fr#fpjkiYyh | 264 | 263 |
| f=iqjk | f=iqjk | 286 | 291 |
| mÙkj çns'k | vkxjk | 244 | 248 |
| | xkft;kckn | 294 | 296 |
| | dkuiqj | 272 | 273 |
| | y[kuÅ | 281 | 279 |
| | okjk.klh | 270 | 270 |
| if'pe cxky | vklulksy | 274 | 271 |
| | nqxkZiqj | 299 | 300 |
| | gfYn;k | 256 | 256 |
| | gkoM+k | 299 | 298 |
| | tyikbZxqM+h | 305 | 304 |
| | dksydkrk | 258 | 259 |
| | jkuhxat | 263 | 264 |
| | flyhxqM+h | 258 | 258 |
| | | 242 | 245 |
| | | 252 | 252 |
| vf[ky Hkkjrh; lwpdkad | | 274 | 275 |


सीटू का मुखपत्र

**सीटू मजदूर**

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;

- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

# देशभर में मनाया गया मई दिवस

बैंगलोर, कर्नाटक

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

बराकर, पश्चिम बंगाल

कोडरमा, झारखंड

पंजाब

राऊरकेला, ओडिशा

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/15-17 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No. U(C)-38/2015-2017 (Date of Publication - 5/6/2017)

# हवाना में वुफ्टू की अध्यक्षीय परिषद की बैठक

*(ऊपर से)* **वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के महासचिव जॉज मावरिकोस रिर्पोट पेश करते हुए; अध्यक्षमंडल में मौजूद सीटू की अध्यक्ष हेमलता; सीटू के सचिव व वुफ्टू के उप–महासचिव स्वदेश देवराय ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल्स पर रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए**

*(रिर्पोट पृ० 24)*

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**